



एच. ई. सी.



हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)



वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2023-24

HEC Builds Machines
That Build the Nation



गुणवत्ता नीति

ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना।

Quality Policy

To achieve and maintain a leading position as supplier of reliable quality products, systems and services to meet customer needs and expectations



निदेशक मंडल
(18-11-2024 तक)



श्री के सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री विजय मित्तल
जेएस(एमएचआई) और निदेशक (एचईसी)



श्री राजेश कुमार
सीसीए(एमएचआई) और निदेशक (एचईसी)



श्री आलोक कुमार सिंगल
निदेशक (मार्केटिंग)



श्री मनोज लकड़ा
निदेशक (कार्मिक)



श्री भगवत शरण गर्ग
निदेशक (उत्पादन)



श्री मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)



श्रीमती प्रभा दुबे
गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक



श्री रविंद्र गोले
गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक



श्री अभय कुमार कंट
कंपनी सचिव




अनुक्रमणिका

१. वार्षिक आम सभा की सूचना
२. निदेशको का प्रतिवेदन
 - अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण
 - निगमित ासन की रिपोर्ट
 - प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन
 - लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर
 - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर
 - वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.-९)
३. वार्षिक लेखा – अंकेक्षित लेखा टिप्पणियों के साथ

निदेशक मंडल (18-11-2024)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक	:	श्री के. सदाशिव मूर्ति
सरकारी निदेशक	:	श्री विजय मित्तल (जेएस/एमएचआई)
	:	श्री रजेश कुमार (सीसीए/एमएचआई)
निदेशक (विपणन)	:	श्री आलोक कुमार सिंघल
निदेशक (कार्मिक)	:	श्री मनोज लाकड़ा
निदेशक (उत्पादन)	:	श्री बी. एस. गर्ग
निदेशक (वित्त)	:	श्री मुकेश कुमार
निदेशक	:	श्रीमती प्रभा दूबे
	:	श्री रविन्द्र गोले
कम्पनी सचिव	:	श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स)
सचिवीय परीक्षक	:	मेसर्स सतीश कुमार एण्ड एसोसिएट्स (कम्पनी सेक्रेटरीज)
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	प्लॉट प्लजा रोड, धुर्वा, राँची-८३४००४ (झारखण्ड)





वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 65वीं वार्षिक आमसभा गुरुवार, दिनांक 05.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे, शॉर्टर नोटिस पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल के माध्यम से निम्नलिखित करोबार के संपादन के लिए प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची-834004 में स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होगी:

साधारण व्यवसाय

- 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण उसके साथ शेयरधारकों हेतु निदेशकगण का प्रतिवेदन, उस पर अंकेक्षक रिपोर्ट एवं सी एण्ड ए जी की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक : 19.11.2024

(अमय कुमार कंठ)
कम्पनी सचिव

नोट :

(1) वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 08.12.2021, 21/2021 दिनांक 14.12.2021, 02/2022 दिनांक 05.05.2022 तथा 09/2023 दिनांक 25.09.2023 (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्र" के रूप में जाना जाता है।) ने एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की अनुमति दी। कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियम) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी के एजीएम को वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सदस्य वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।

(2) उपरोक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार, प्रॉक्सी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार इस बैठक के लिए प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है।





निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारक

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

देवियों और सज्जनों,

एचईसी लिमिटेड, रांची को लौह और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म और इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे अन्य मुख्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए उपकरण और मशीनरी के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 31 दिसंबर, 1958 को निगमित किया गया था। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने राष्ट्र के प्रति अपनी 65 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी की 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

गंभीर वित्तीय संकट के कारण उत्पादन और बिक्री प्रभावित हुई है, जिससे **औद्योगिक सम्बन्ध** की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसके अलावा पुरानी मशीनरी के बार-बार खराब होने से ऑर्डर के निष्पादन पर असर पड़ा है, जिसका अप्रत्यक्ष असर नकदी प्रवाह चक्र पर पड़ा है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 24.84 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले। एचईसी द्वारा प्राप्त ऑर्डर में मुख्य रूप से एचईसी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए स्पेयर और घटक शामिल हैं, जैसे कि विभिन्न इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल, ड्रैगलाइन, क्रशर, स्टील प्लांट उपकरण, ईओटी क्रेन और अपने ग्राहकों को आपूर्ति किए गए भारी मशीन टूल्स के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर। इसके अलावा, एचईसी ने स्टील प्लांट के लिए स्लैग पॉट्स और फोर्ज रोल्स के लिए भी ऑर्डर प्राप्त किए।

2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं:- (करोड़ रुपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
बिक्री	165.12	91.43
उत्पादन	163.74	60.50

3. वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है (करोड़ रुपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
सकल मुनाफा*	-213.76	-202.35

ब्याज	45.69	42.56
मूल्यहास	5.60	5.71
पूर्व अवधि समायोजन (नेट)	00	-0.48
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	-265.05	-251.10
असाधारण वस्तुओं आय (+) / व्यय।)-(-10.14	20.25
कर पूर्व लाभ	-275.19	-230.85
कर	0	0.00
शुद्ध लाभ	-275.19	-230.85
नकद लाभ (असाधारण वस्तुओं से पहले)	-259.45	-244.91

* मूल्यहास, ब्याज, कर, पूर्व अवधि और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ


31.03.2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु. 606.07 करोड़ रुपये है। जबकि नेट वर्थ रु. (-) 1361.59 करोड़ है।

2016-17 से बिक्री, उत्पादन, कर्मचारी उत्पादकता और लाभप्रदता नीचे दी गई है:

	बिक्री (करोड़ रुपये)	उत्पादन (करोड़ रुपये)	प्रति कर्मचारी बिक्री (लाख रुपये)	शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)
2016-17	390.11	364.84	26.81	(-)82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00
2018-19	356.21	340.22	23.42	-93.67
2019-20	132.68	158.29	9.92	-405.37
2020-21	202.76	252.43	14.75	-175.78
2021-22	184.69	203.84	14.06	-256.07
2022-23	91.43	60.50	7.79	-230.85
2023-24	165.12	163.74	15.44	-275.19

लाभांश की घोषणा न करना:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर पश्चात लाभ (PAT) रु. (-) 275.19 तथा नेटवर्थ रु. (-) 1361.59 करोड़ है। वित्त मंत्रालय के डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 27-05-2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति के अनुसार, सीपीएसई को पीएटी का 30% या नेटवर्थ का 5% जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करना होगा। इसलिए, कंपनी



अधिनियम 2013 की धारा 123 (लाभांश की घोषणा के संबंध में) के मद्देनजर लाभांश घोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

4. विपणन गतिविधियाँ

एचईसी में गहरे वित्तीय संकट के कारण इस हद तक गंभीर फंड संकट पैदा हो गया है कि एचईसी वैधानिक भुगतान सहित अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इससे एचईसी को पहले से मिले ऑर्डरों के क्रियान्वयन पर गहरा असर पड़ा है। एचईसी में चल रही वित्तीय समस्या को देखते हुए, ग्राहक एचईसी पर ऑर्डर देने से बच रहे हैं, जिसका असर वित्त वर्ष 2023-24 में ऑर्डर बुकिंग पर भी पड़ा है। FY 23-24 में, HEC को केवल 24.84 करोड़ रुपये के ऑर्डर ही मिल सके। खनन और इस्पात के पुर्जों के लिए।

एचईसी की नकारात्मक निवल संपत्ति और नकारात्मक कार्यशील पूंजी के कारण, एचईसी टर्न-की परियोजनाओं के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए उच्च मूल्य निविदाओं में भी भाग नहीं ले सका। विपणन विभाग ऑर्डर बुकिंग परिदृश्य में सुधार के लिए निरंतर और ठोस प्रयास कर रहा है।

हाथ में आदेश

31.03.2024 को बकाया ऑर्डर बुक रु.1225.07 करोड़ का है।

व्यवसाय विकास पहल:-

मशीनरी के अप्रचलन के साथ-साथ वित्तीय बाधाओं की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अधिकांश प्रयास ऑर्डर निष्पादन के मोर्चे पर किए गए थे। इसलिए, वर्तमान स्थिति में, कोई नया उत्पाद/क्षेत्र नहीं लिया गया।

5. परियोजना की गतिविधियाँ

i(कोयला प्रबंधन संयंत्र (4.0 एमटीपीए), कृष्णाशिला परियोजना, एनसीएल प्रदर्शन गारंटी परीक्षण पूरा होने के बाद, संयंत्र वाणिज्यिक संचालन के अधीन है। अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र (FAC) 02.03.2024 को प्राप्त हुआ और अंतिम वाणिज्यिक निपटान प्रगति पर है।

ii(5.0 एमटीपीए मधुबंद एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी परियोजना, बीसीसीएल प्रदर्शन परीक्षण के बाद, वाशरी प्लांट 29.11.2023 से वाणिज्यिक संचालन के अधीन है। वाणिज्यिक निपटान प्रगति पर है।

iii(**मेघातुबुरु** लौह अयस्क खदान (सेल) में तृतीयक क्रशिंग प्रणाली की स्थापना

संपूर्ण तृतीयक क्रशिंग सिस्टम के लिए प्रदर्शन गारंटी (पीजी) पूरी हो चुकी थी और संयंत्र को वाणिज्यिक परिचालन के तहत रखा गया था। अंतिम वाणिज्यिक निपटान प्रगति पर है।

iv(कोयला हैंडलिंग प्लांट, ब्लॉक-बी, एनसीएल

एचईसी द्वारा 05.01.2021 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ। साइट पर काम जोरों पर चल रहा है।

v(कोल हैंडलिंग प्लांट, गोवरा, एसईसीएल

एचईसी द्वारा 05.02.2021 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ। साइट पर काम जोरों पर चल रहा है।

6. एमएसएमई से खरीद

वर्ष के दौरान एमएसएमई, एनएसआईसी और एसएसआई फर्मों से खरीद ₹ 4.59 करोड़ है।

7. सुरक्षा, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व देती है। कर्मचारियों/श्रमिकों के बीच सुरक्षा चेतना विकसित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैधानिक मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से संपूर्ण चिकित्सा जांच की गई। कर्मचारियों/श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मा, सुरक्षात्मक कपड़े, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते आदि प्रदान किए गए।

कंपनी पर्यावरण प्रदूषण पर कोई समझौता नहीं करती है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी सावधानियां बरतती है।

1. सुरक्षा अग्रणी संकेतकों (खतरों की पहचान, असुरक्षित स्थिति और चूक के निकट) और सुरक्षा अंतराल संकेतक (जैसे काम करते समय पीपीई के उपयोग का उल्लंघन, उपकरण सुरक्षा) की पहचान करने के लिए दुकान के फर्श का दैनिक सुरक्षा निरीक्षण।

2. टीडब्ल्यूआई और टूल बॉक्स टॉक के तहत क्लास रूम प्रशिक्षण के साथ-साथ शॉप फ्लोर पर कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, जैसे:-


फिसलन, यात्रा और पतन	आवश्यकता पड़ने पर जे.एस.ए
एचएमआई (हैंड इन मशीन)	खतरे संचार
पीटीडब्ल्यू (कार्य करने की अनुमति)	दुर्घटनाओं का आरसीए (मूल कारण विश्लेषण)।
ऊंचाई पर काम करना	कार्मिक सुरक्षा
प्लांट के अंदर सड़क सुरक्षा	पीपीई का उपयोग करता है

3. फैक्ट्री निरीक्षक, रांची, झारखंड को दुर्घटना की सूचना देना और पुनरावृत्ति से बचने के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए मूल कारणों का विश्लेषण करना।

4. सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए त्रैमासिक "पौधे सुरक्षा समिति" का आयोजन करना और यह एक ऐसा मंच है जहां कर्मचारी और प्रबंधन स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और समाधान पर सहयोग कर सकते हैं।

5. विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थितियों तक पहुंचने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट करना और निवारक और सुधारात्मक उपाय करने के लिए खतरा संभावित क्षेत्रों की पहचान करना।

6. एसबीओ (सुरक्षा व्यवहार और अवलोकन) के रूप में व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण का संचालन करना





स्वास्थ्य एवं पर्यावरण:-

(ए) कर्मचारियों/श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु नियमित नेत्र परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच करना। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार यह भी वैधानिक प्रावधान है।

(बी) स्टैक निकास पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की निगरानी।

(सी) नालियों ए, बी और सी के माध्यम से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की दैनिक आधार पर निगरानी।

(डी) एचईसी क्षेत्रों को हरा-भरा रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जा रही हैं।

(ई) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत कई स्वास्थ्य और पर्यावरण गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है।

(एफ) वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जेएसपीसीबी द्वारा दी गई शर्तों को लागू करना

(जी) प्रदूषकों के लिए नियमित रूप से जल प्रवाह के नमूनों का परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर अंतर्देशीय निकाय में पानी के निर्वहन की सहमति दी जाती है।

(एच) योजना के परिसर के अंदर विभिन्न स्थानों पर जल संचयन जिसके द्वारा वर्षा जल को संचयित किया जाता है और शुष्क मौसम के दौरान इसका पुनः उपयोग करने के उद्देश्य से संग्रहीत किया जाता है।

संयुक्त प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईपीटी): सीईटीपी डिस्चार्ज करने से पहले औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषित पानी को हटा देते हैं। डिस्चार्ज जल की गुणवत्ता जेएसपीसीबी सीईटीपी (संयुक्त प्रवाह उपचार संयंत्र) जल के नमूने और रिपोर्ट के विश्लेषण द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों को पूरा करती है।

रिपोर्ट संकलित करना और स्थिति अद्यतन करना. उपचारित सीईटीपी पानी का पुनः उपयोग करके हम वॉटर फुट प्रिंट को कम कर रहे हैं। हवा और पानी के नमूने के लिए फैक्ट्री के दौरे के समय पीसीबी अधिकारी का नेतृत्व करना। सीटीओ (संचालन की सहमति) प्राप्त करना और पर्यावरणीय खतरनाक अपशिष्ट का अनुदान और जेएसपीसीबी-झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रांची झारखंड के साथ अन्य पत्राचार।

8. कार्य बल की स्थिति

31.03.2024 को कंपनी की जनशक्ति 1065 थी, जबकि 31.03.2023 को यह 1174 थी।

9. औद्योगिक संबंध

इस अवधि के दौरान वेतन/मजदूरी के विलंबित भुगतान के कारण औद्योगिक संबंधों का माहौल चुनौतीपूर्ण था।

10. कर्मचारी कल्याण

कंपनी की अपनी आवासीय टाउनशिप है, जहां मेडिकल डिवीजन के तहत वेलनेस सेंटर नियमित कर्मचारियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करता है। समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेलनेस सेंटर/मेडिकल डिवीजन में ओपीडी और अवलोकन सुविधाओं के माध्यम से चिकित्सा लाभ बढ़ाया जाता

है। इसके अलावा, 24.06.2023 और 08.09.2023 को एचईसी मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए सामान्य जांच और आंखों की जांच की गई और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने उपरोक्त शिविरों में प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाया।

11. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व देती है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से योग्यता विकास पर जोर दिया गया, जैसे नेतृत्व गुणवत्ता विकास, पर्यवेक्षी कौशल विकसित करना, अधीनस्थ विकास, कार्य सेवा प्रक्रियाएं, नए श्रम कोड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता जागरूकता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी में उभरती प्रौद्योगिकियां, खरीद प्रक्रियाएं, आदि। इसके अलावा, श्रमिकों को उनके बहु कौशल और सुरक्षा पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थिति

i) 31.03.2024 को एससी और एसटी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 225 और 264 थी।

ii) कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 21.13% और 24.79% था।

13. हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देशों के तहत व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में कंपनी भर में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता है। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की दिशा में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए:

कर्मचारियों को हिंदी को एक व्यावहारिक भाषा के रूप में जानने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में, परिपत्र या तो हिंदी में या द्विभाषी में जारी किए जाते हैं।

इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में विभिन्न कार्यक्रम / समारोह आयोजित किए जाते हैं।

01.09.2023 से 14.09.2023 तक "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया और निबंध लेखन, भाषण, कविता, नोटिंग, प्रारूपण, टाइपिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं और हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा शील्ड आयोजित की गईं। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए।

14. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) का उत्सव

एचईसी में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 08 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2024 को 'महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएं' थीम के तहत मनाया गया था और हमारे साथ खड़े हों।


महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित कल्याणकारी सुविधाएँ दी जाती हैं:

1. मातृत्व अवकाश

2. क्रेच सुविधा

3. कैंटीन की सुविधा, अलग बैठने की व्यवस्था

4. स्वयं और परिवार के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ। मृत कर्मचारियों की विधवाओं को आवास सुविधाएँ।



15. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

भर्ती में आरक्षण पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाता है।

अंध और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है।

वित्तीय बाधाओं के कारण, कंपनी वैधानिक आवश्यकता को छोड़कर विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ तैयार करने में सक्षम नहीं है।

16. ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट

कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक संपत्ति रिटर्न को ऑनलाइन भरना सफलतापूर्वक जारी है।

17. विद्युत वाहन का उपयोग

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए ईई एसएल और एचईसी के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में एचईसी में 16 इलेक्ट्रिक कार का उपयोग किया जा रहा है

18. सहायक एवं एसएसआई इकाइयों का विकास

अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ-साथ व्यक्तिगत उद्यमिता के अवसर पैदा करने के लिए रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के पास एक सहायक क्षेत्र विकसित किया।

एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग और प्रवेश के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने के लिए एसएसआई इकाइयों के साथ नियमित बातचीत आयोजित की गई।

19. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है।

20. सतर्कता गतिविधियाँ

मुख्यालय में एचईसी लिमिटेड का सतर्कता संगठन मुख्य सतर्कता अधिकारी/एचईसी के समग्र प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है। कंपनी का सीवीओ संगठन और प्रशासनिक मंत्रालय एवं सीवीसी के बीच एक लिंक प्रदान करता है। संगठन में भ्रष्टाचार, कदाचार, लापरवाही, बर्बादी और गलत नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए सतर्क नजर रखते हुए, सीवीओ सीएमडी के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सीधे उन्हें रिपोर्ट करता है।

सतर्कता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित करके कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये/उनमें भाग लिया गया:

एचईसी खरीद नीति, प्रमाणित कथन आदेशों और शिकायत प्रबंधन नीति के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

24 से 29 अप्रैल 2023 तक गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी में "सतर्कता प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सीवीसी द्वारा आयोजित किया गया।

2 फरवरी 2024 से सिडबी, लखनऊ में सीवीसी द्वारा सतर्कता अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण एवं बातचीत।

18 से 22 दिसंबर 2023 तक गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी में "सतर्कता प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सीवीसी द्वारा आयोजित किया गया।

12 से 14 अक्टूबर 2023 तक आईआईसीएम, रांची में "निवारक सतर्कता रणनीति, अनुशासनात्मक कार्यवाही और आईओ/पीओ की भूमिका" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सीवीसी द्वारा आयोजित किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार 30 अक्टूबर से 05 नवंबर 2023 तक कंपनी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 मनाया गया। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और स्थापित करने के उद्देश्य से एचईसी लिमिटेड में वीएडब्ल्यू-2023 के दौरान उत्साह और जोश के साथ विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

21. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटान

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और मांगी गई जानकारी समय पर जमा करने को प्राथमिकता दी जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 105 संख्या में आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और निर्धारित समय के भीतर विधिवत उत्तर दिए गए।

22. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा - आईसीसी

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुरूप यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए मई, 2019 में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया था। अधिनियम, 2013. वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

23. गुणवत्ता आश्वासन


आपकी कंपनी निर्मित उत्पादों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है। इसे ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता आश्वासन विभाग को तीन संयंत्रों के लिए केंद्रीकृत किया गया है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को प्रासंगिक भारतीय मानकों और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार बनाए रखा जा रहा है।

24. अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, और नवाचार; ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में अपेक्षित विवरण अनुलग्नक-ए' में दिए गए हैं।

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण आपके निदेशक बताते हैं कि:

ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;



बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

डी) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं; और

ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

26. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट अनुलग्नक-बी में दी गई है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कॉर्पोरेट प्रशासन का हिस्सा होगी।

27. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-सी पर दी गई है।

28. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मेसर्स संतोष भौमिक एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

29. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उन पर वैधानिक लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन के उत्तर

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत C&AG की टिप्पणियाँ, C&AG द्वारा आपकी कंपनी के लेखों की समीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ तथा उन पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक- ' डी' में दिए गए हैं।

30. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत प्रकटीकरण आवश्यक है।

क्रम सं०	आवश्यकताएं	विवरण
1	धारा 134(3)(ए): वेब पता, यदि कोई हो, जहां धारा 92 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न [31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार] रखा गया है। MGT-9 अनुलग्नक- ई पर दी गई है।	https://www.hecltd.com/ .

2	धारा 134(3)(सीए): केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण।	लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।
3	धारा 134 (3)(एफ): प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ।	लेखापरीक्षक द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी गई है।
4	धारा 134 (3)(जी): धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।	
5	धारा 134 (3)(एच): निर्धारित प्रपत्र में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण।	
6	धारा 134 (3)(जे): राशि, यदि कोई हो, जिसे वह किसी भी भंडार में ले जाने का प्रस्ताव करता है।	
7	धारा 134 (3)(एल): कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख।	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष में उपलब्ध विवरण 2023-24
8	नियम 8 (5)(vii): नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।	
9	धारा 134 (3)(एम): ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय, निर्धारित तरीके से।	विवरण यहां दिया गया है अनुलग्नक- 'ए'.
10	धारा 134 (3)(एन): कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन का संकेत देने वाला एक बयान, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।	कंपनी में कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है।



11	धारा 134 (3)(ओ): वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण।	आवश्यक नहीं
12	नियम 8 (1): बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार की जाएगी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताओं और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान पर रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के तहत अवधि.	आवश्यक नहीं
13	नियम 8 (2): बोर्ड की रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 में धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण शामिल होगा।	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है
14	नियम 8 (3): (ए) ऊर्जा का संरक्षण- (बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण- (सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय	विवरण अनुलग्नक- 'ए' में दिया गया है।
15	नियम 8 (5)(iii): वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए या इस्तीफा देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण।	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
16	नियम 8(5)(v): जमा से संबंधित विवरण, अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आते हैं।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
17	नियम 8 (5)(vi): जमा का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट - अनुलग्नक 3 में विवरण उपलब्ध है
18	नियम 8(5)(viii): वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट - अनुलग्नक 3 में विवरण उपलब्ध है
19	नियम 8 (5)(ix): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका खुलासा करना और तदनुसार ऐसा करना आवश्यक है। खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे जाते हैं।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
20	धारा 118(10) और एसएस-1: सचिवीय मानक का अनुपालन।	अनुपालन किया।

31. निदेशक मंडल

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक इसमें दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक शामिल हैं; और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2024 को, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में नौ निदेशक शामिल हैं जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक), (ii) सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक और (iii) आंशिक समय गैर-आधिकारिक निदेशक। बोर्ड में (ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और चार कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं (बी) भारत सरकार के दो नामित आधिकारिक निदेशक और (ग) दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक।


31 मार्च, 2024 को, एचईसी के बोर्ड में कोई पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक नहीं हैं। एचईसी लिमिटेड के बोर्ड के सभी कार्यात्मक निदेशक एचईसी में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी (बीएचईएल) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री राजेश कुमार द्विवेदी, जीएम (बीएचईएल), श्री ए के बेहरा, जीएम (बीएचईएल), श्री आलोक कुमार सिंघल, ईडी (बीएचईएल) और श्री एसडी सिंह, जीएम (बीएचईएल) एचईसी लिमिटेड में क्रमशः निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (विपणन) और निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।

31 मार्च, 2024 को, एचईसी के बोर्ड में भारत सरकार के दो नामित निदेशक हैं, श्री विजय मित्तल, संयुक्त सचिव/एमएचआई और श्री राजेश कुमार, सीसीए/एमएचआई और दो स्वतंत्र निदेशक हैं, श्रीमती प्रभा दुबे और श्री रवींद्र गोले।

डॉ. नलिन सिंघल ने 31 अक्टूबर, 2023 को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने 01 नवंबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

32. लेखा परीक्षा समिति

15 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी 341वीं बैठक में बोर्ड द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति, स्वतंत्र निदेशक श्रीमती प्रभा दुबे के साथ समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है। श्री राजेश कुमार, सीसीए/एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक), श्री कमल किशोर नाइक (स्वतंत्र निदेशक) और श्री रवींद्र गोले (स्वतंत्र निदेशक) को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। श्री कमल किशोर नाइक, स्वतंत्र निदेशक का 30.09.2023 को निधन हो गया। इस प्रकार, उनका पद समाप्त हो गया। कंपनी के निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।



लेखापरीक्षा समिति एक बोर्ड स्तरीय समिति है जो वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, लेखापरीक्षकों का चयन, सांविधिक लेखापरीक्षा अनुपालन, वित्तीय प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रस्तुति और रिपोर्टिंग, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखापरीक्षा परिणामों की प्राप्ति आदि के लिए जिम्मेदार है।

33. अभिस्वीकृति


बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड कंपनी के कामकाज में उनके निरंतर समर्थन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय का विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड कंपनी के कामकाज के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता है।


बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वित्तीय संस्थानों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक सहित अपने सभी हितधारकों से प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है जिन्होंने बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से


(कोप्पु सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



अनुलग्नक- ए

वर्ष के दौरान कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और ऊर्जा संरक्षण

i. वर्ष के दौरान कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ अनुसंधान

क्षैतिज स्लाइडिंग दरवाज़ा:

एचईसी ने क्षैतिज स्लाइडिंग को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है नई पीएसएलवी एकीकरण सुविधा (पीआईएफ) के लिए दरवाज़ा (एचएसडी)। इसरो श्रीहरिकोटा. कुल 8 संख्या में दोहरे दरवाज़े हैं 60 मीटर ऊंचाई की आगामी एकीकरण इमारत में स्थापित। दरवाज़े मोटर चालित और नियंत्रित संचालन वाले हैं। किलोवाट, 55 किलोवाट और 30 किलोवाट है।

ii. ऊर्जा संरक्षण

एचईसी में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

- दो उत्पादक गैस से चलने वाली भट्टियों को एलपीजी से चलने वाली भट्टियों में बदलने का काम चल रहा है और दो अन्य का काम चल रहा है।
- विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एपीएफ (औसत पावर फैक्टर) को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए नए 33 केवी एपीएफसी पैनलों की स्थापना के लिए ईईएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एपीएफ को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए 6.6 केवी सबस्टेशनों में स्थापित कंडेनसर बैंकों की दैनिक निगरानी की जा रही है।
- जहां भी संभव हो दिन के समय आदर्श चार्ज ट्रांसफार्मरों को बंद किया जा रहा है।

अनुलग्नक - बी

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1.0 कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन:

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी लिमिटेड) निष्पक्ष और पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास करता है, ताकि कंपनी से जुड़े सभी लोगों, जैसे शेयरधारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के लिए मूल्य बढ़ाया जा सके। मालिक या कोई अन्य क्षमता, विभिन्न राज्य सरकारें, अन्य सरकारी एजेंसियां/विभाग और बड़े पैमाने पर समाज। अनिवार्य रूप से एचईसी में अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों का अभ्यास शामिल है और पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और अखंडता में विश्वास करता है।

एचईसी प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में अपने मामलों का प्रबंधन इस तरह से करता है कि वह सभी कानूनों का अनुपालन करता है और अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधन नीतियों/निर्णयों को नियंत्रित करता है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया और मजबूत किया है।

2.0 निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के मूल में है और देखरेख करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन हमारे सभी हितधारकों के हितों की सेवा और सुरक्षा करता है। बोर्ड कंपनी की सभी प्रमुख गतिविधियों की निगरानी सहित रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो दो से कम और न ही पंद्रह से अधिक होगी। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक इसमें दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक शामिल हैं; और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सभी निदेशकों की नियुक्ति के नियम, शर्तें और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 को, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में नौ निदेशक शामिल हैं जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक), (ii) सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक और (iii) आंशिक समय गैर-आधिकारिक निदेशक। बोर्ड में (ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और चार कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं (बी) भारत सरकार के दो नामित आधिकारिक निदेशक और (ग) दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक।



31 मार्च, 2024 को, एचईसी के बोर्ड में कोई पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक नहीं हैं। एचईसी लिमिटेड के बोर्ड के सभी कार्यात्मक निदेशक एचईसी में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी (बीएचईएल) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री राजेश कुमार द्विवेदी, जीएम (बीएचईएल), श्री ए के बेहरा, जीएम (बीएचईएल), श्री आलोक कुमार सिंघल, ईडी (बीएचईएल) और श्री एसडी सिंह, जीएम (बीएचईएल) एचईसी लिमिटेड में क्रमशः निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (विपणन) और निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।

31 मार्च, 2024 तक, एचईसी के बोर्ड में भारत सरकार के दो नामित निदेशक हैं, श्री विजय मित्तल, संयुक्त सचिव/एमएचआई और श्री राजेश कुमार, सीसीए/एमएचआई और दो स्वतंत्र निदेशक हैं, श्रीमती प्रभा दुबे और श्री रवींद्र गोले।

डॉ. नलिन सिंघल ने 31 अक्टूबर, 2023 को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने 01 नवंबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

2.1 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:

i) श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति: अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), सीएमडी (बीएचईएल)

[डॉ. नलिन सिंघल ने 31 अक्टूबर, 2023 से एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने 01 नवंबर, 2023 से एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।]

2.2 कार्यात्मक निदेशक:

i) श्री राजेश कुमार द्विवेदी: निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार

:

[श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने 30.09.2024 को पद छोड़ दिया। आगे श्री मुकेश कुमार 04.10.2024 को निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार के रूप में शामिल हुए]

ii) श्री ए.के. बेहरा: निदेशक (कार्मिक), अतिरिक्त प्रभार

[श्री ए.के. बेहरा ने 24.04.2024 को पद त्याग दिया। आगे श्री मनोज लाकड़ा ने 25.04.2024 को निदेशक (कार्मिक), अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार संभाला।]

iii) आलोक कुमार सिंघल : निदेशक (विपणन), अतिरिक्त प्रभार

iv) श्री एस डी सिंह : निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभार

[श्री एस डी सिंह ने 24.07.2024 को पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा श्री बी एस गर्ग ने 25.07.2024 को निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार संभाला।]

2.3 भारत सरकार के नामांकित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

i) श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई

ii) श्री राजेश कुमार, सीसीए/एमएचआई

2.4 भारत सरकार के नामांकित गैर-आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक / स्वतंत्र निदेशक:

i) श्रीमती प्रभा दुबे

ii) श्री रविन्द्र गोले


नोट: स्वतंत्र निदेशक श्री कमल किशोर नाइक का 30.09.2023 को निधन हो गया। इस प्रकार, उनका पद समाप्त हो गया।]

3.0 बोर्ड की बैठक: बोर्ड की बैठकें कंपनी के रांची स्थित पंजीकृत कार्यालय या बोर्ड द्वारा तय किए गए स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। कंपनी सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3.1 बोर्ड बैठकों की संख्या:

वर्ष 2023-24 के दौरान पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	तारीख	बोर्ड की ताकत	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	21.06.2023	10	08
2.	15.09.2023	10	08
3.	19.09.2023	10	09
4.	21.12.2023	09	08
5.	21.03.2024	09	08





3.2 बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक पद की संख्या	क्या 10.11.2023 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था
(ए) कार्यात्मक निदेशक					
1. डॉ. नलिन सिंघल (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक) 31.10.2023 पद त्याग किये	01.04.2023 से 31.10.2023	03	03	01	नहीं
2. कोप्पु सदाशिव मूर्ति (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक) 01.11.2023 को शामिल हुए	01.11.2023 से 31.03.2024	02	02	02	हाँ
3. श्री राजेश कुमार द्विवेदी निदेशक (वित्त), 30.09.2024 पद त्याग किये	01.04.2023 से 31.03.2024	05	04	00	हाँ
4. श्री ए के बेहरा, निदेशक (कार्मिक), 24.04.2024 पद त्याग किये	01.04.2023 से 31.03.2024	05	05	01	हाँ
5. श्री आलोक कुमार सिंघल, निदेशक (विपणन)	01.04.2023 से 31.03.2024	05	05	00	हाँ
6. श्री शकील कुमार मनोचा, निदेशक (उत्पादन), 24.08.2023 को पद त्याग किये	01.04.2023 से 24.08.2023	01	01	01	नहीं
7. श्री एस डी सिंह, निदेशक (उत्पादन) 25.08.2023 को शामिल हुए और 24.07.2024 को पद त्याग किये	25.08.2023 से 31.03.2024	04	04	00	हाँ
बी) सरकार. भारत के नामांकित अंशकालिक आधिकारिक निदेश					
1. श्री विजय मित्तल	01.04.2023 से 31.03.2024	05	05	04	नहीं
2. श्री राजेश कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024	05	03	02	हाँ
सी) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक					
1. श्रीमती प्रभा दुवे	01.04.2023 से 31.03.2024	05	05	00	हाँ
2. श्री कमल किशोर नायक	01.04.2023 से 30.09.2023	03	00	00	नहीं
3. श्री रवीन्द्र गोले	01.04.2023 से 31.03.2024	05	04	00	हाँ

4.0 लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें कंपनी के रांची स्थित पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाती हैं, जैसा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है।

4.1 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2023-24 के दौरान चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-



क्र.सं.	तारीख	ताकत	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	21.06.2023	04	03
2.	15.09.2023	04	03
3.	21.12.2023	03	02
4.	21.03.2023	03	02

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठक के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

4.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति:

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1. श्रीमती प्रभा दुबे	01.04.2023 से 31.03.2024	04	04
2. श्री राजेश कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024	04	04
3. श्री कमल किशोर नायक	01.04.2023 से 30.09.2023	02	00
4. श्री रवीन्द्र गोले	01.04.2023 से 31.03.2024	04	02

5.0 वार्षिक आम बैठक:

पिछली छह एजीएम का समय, तिथि और स्थान:


वर्ष	तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान
2107-18(59वीं एजीएम)	07.09.2018	दिन के 11 बजे	पंजीकृत कार्यालय
2018-19(60वीं एजीएम)	27.09.2019	11:30:00 बजे सुबह	पंजीकृत कार्यालय
2019-20(61वीं एजीएम)	22.12.2020	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2020-21(62वीं एजीएम)	15.12.2021	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2021-22(63वीं एजीएम)	30.09.2022	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2022-23 (64वां एजीएम)	10.11.2023	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय

6.0 आचार संहिता:

निदेशक मंडल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निर्धारित की है।

7.0 प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुपालन में, कंपनी ने सभी निदेशकों से ब्याज का प्रकटीकरण (फॉर्म एमबीपी-1) प्राप्त कर लिया है।



सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार,}

सेवा में,
सदस्य, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
एचईसी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग
प्लांट प्लाजा रोड,
धुर्वा, रांची – 834004

हमने मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा जाएगा) के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा के अनुसार कंपनी का नाम मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, हालांकि कंपनी अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के संबंध में सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार, 2013, कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी की पुस्तकों, कागजात मिनट की किताबों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, अन्य दस्तावेजों/ फाइलिंग के साथ, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, जिन पर प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भरोसा किया गया है : -

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके ओएम नंबर 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी किए गए।
4. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970।
5. यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाएँ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।
6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके तहत बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून और नियम।

7. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी रिपोर्ट प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों की सीमा तक सीमित है। हालांकि, विभिन्न लागू कानूनों के तहत दाखिल किए जाने वाले वैधानिक और/ अन्य रिटर्न के अनुपालन का आश्वासन/ विश्वसनीयता कंपनी के संबंधित एचओडी या अधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर निर्भर है।

I हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम" के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों का अनुपालन किया है, जो यहां विशेष रूप से बताए गए प्रावधानों के अधीन है, इसके अलावा कंपनी ने उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं और अनुपालन-तंत्र का पालन किया है। हालांकि अनुपालन यहाँ "अनुलग्नक-बी" के रूप में निर्धारित टिप्पणियों और या अवलोकन के अधीन हैं।

1. भाग I के तहत निर्धारित बैलेंस शीट का फार्म, भाग II के तहत निर्धारित लाभ और हानि के विवरण का फार्म और इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।
2. पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन।
3. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना।
4. निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना और आयोजित करना।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों की 64वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन एवं आयोजन 10.11.2023 को हुआ।
6. वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रख-रखाव,
7. निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान।
8. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।
9. लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें।
10. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों और लेखा परीक्षकों को दस्तावेजों की सेवा।





II हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने आवश्यकता पड़ने पर अन्य कंपनियों में अपनी शेयरधारिता और निदेशक पद और अन्य संस्थाओं में हितों का खुलासा किया है और उनके हितों को बोर्ड द्वारा नोट और रिकॉर्ड किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्तियों की पात्रता और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के अनुसरण में कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों पर कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया और कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।
4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र और कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के आधार पर कंपनी के पास किसी भी प्रकृति का कोई अनुपालन लंबित नहीं है। उपरोक्त परिशिष्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन कंपनी का।
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट के दौरान, कंपनी ने कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा असर हो सकता है।

वास्ते सतीश कुमार, एसोसिएट

Satish

सतीश कुमार

कंपनी सचिव

FCS : 8423


C P No.: 9788

UDIN : F008423F002292531

स्थान : रांची

दिनांक : 18 नवम्बर, 2024

नोट :- यह रिपोर्ट हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है। घटना की तारीख जो "अनुलग्नक-ए", "अनुलग्नक-बी" के रूप में संलग्न है यह रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।




“अनुलग्नक-अ”

सेवा में
सदस्य,
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची
घटना की तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र साथ में पढ़ी जानी चाहिए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता पुस्तकों, जीएसटी और टीडीएस रिटर्न आदि की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
6. कंपनी ने “अनुलग्नक-बी” में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर प्रावधानों, विनियमों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

वास्ते सतीश कुमार ए.एसोसिएट्स


सतीश कुमार
कंपनी सचिव

FCS नंबर : 8423

C P No- 9788


UDIN : F008423F002292531

स्थान : रांची

दिनांक : 18 नवम्बर, 2024



क्र. सं.	अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
1.	कंपनी ने अपेक्षित वैधानिक भुगतान नहीं किया है, विशेष रूप से पीएफ और ईएसआईसी में योगदान के संबंध में।	पीएफ और ईएसआईसी के लिए वैधानिक बकाया के भुगतान में देरी मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान अनुभव की गई वित्तीय बाधाओं के कारण है। हालांकि, प्रबंधन आश्वासन देता है कि सभी बकाया देनदारियों को लागू कानूनों के अनुसार तुरंत निपटाया जाएगा। कंपनी अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने और भविष्य में समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के तहत आवश्यक है।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को बढ़ाने के लिए एक योग्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी आगे बढ़ते हुए सभी लागू कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।



अनुलग्नक – सी

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अवलोकन:

एचईसी भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए पूंजीगत उपकरण और मशीनरी का अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता रहा है। यह अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक टर्न-की परियोजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। छह दशकों के अनुभव में, एचईसी ने अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से देश में योगदान दिया है।

1.0 स्वाॅट विश्लेषण: ताकत और कमजोरियां, अवसर और खतरे

1.1 ताकत:

- i. इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, मुख्य क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों आदि के क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग डिजाइन और विनिर्माण उपकरणों के लिए सबसे बड़ा एकीकृत परिचालन सेटअप।
- ii. एचईसी के पास एक ही छत के नीचे कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग, परीक्षण से लेकर खनन और इस्पात उपकरणों और मशीन टूल्स के लिए वन-स्टॉप सुविधा है।
- iii. खनन क्षेत्र में एचईसी के पास ड्रैगलाइन, फावड़े (पारंपरिक और हाइड्रोलिक दोनों), भूमिगत खनन उपकरण और खनन स्पेयर आदि जैसे उच्च मूल्यवान और विभिन्न रेंज के खनन उपकरणों की आपूर्ति करने की प्रचुर क्षमता है। 200 से अधिक नग। विभिन्न खदानों में खनन और खनिज प्रसंस्करण उपकरण पहले से ही परिचालन में हैं।
- iv. एचईसी ने धातुकर्म नवाचारों और मुख्य और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रवेश द्वार खोले हैं।
- v. एचईसी ने स्वदेशीकरण और विकास आवश्यकताओं के लिए आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, एनआईएफएफटी रांची जैसे प्रमुख अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ तकनीकी गठजोड़ किया है। एचईसी ने हाल ही में एनआईएफएफटी रांची के साथ हॉलो शाफ्ट का विकास शुरू किया है।
- vi. एचईसी को महत्वपूर्ण रक्षा/रणनीतिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुरूप उत्पाद वितरित करने के लिए इसका अपना इन-हाउस आर एंड डी विंग है। एचईसी की इंजीनियरिंग संपदा और ज्ञान इसके परिचालन क्षेत्र में अद्वितीय है।
- vii. एचईसी के पास टीओटी हस्तांतरण के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण करने की क्षमता है।
- viii. कौशल स्तर के संदर्भ में, कंपनी के पास पैटर्न बनाने, मोल्ड तैयार करने, स्टील पिघलने, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, गियर विनिर्माण, विनाशकारी और गैर-विनाशकारी परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण आदि क्षेत्रों में तकनीशियनों द्वारा समर्थित अच्छी तरह से निपुण इंजीनियर हैं।



1.2 कमजोरियाँ:


- i. मौजूदा मशीनरी के लिए तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जो साठ वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुकी है, जिसके कारण बार-बार खराबी, उच्च अस्वीकृतियां और मरम्मत के लिए औसत औसत : अधिक समय लगता है।
- ii. प्रौद्योगिकी गहन दर्जी उत्पाद।
- iii. बड़े विनिर्माण और नकदी रूपांतरण चक्र वाले उत्पाद।
- iv. कार्यशील पूंजी की कमी।
- v. नगण्य कैपेक्स निवेश के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव।
- vi. कम जनशक्ति उत्पादकता।

1.3 अवसर:

- i. सरकार की "मेक इन इंडिया" और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा मिलेगा घरेलू विनिर्माण।
- ii. खनन, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु जैसे क्षेत्रों में भारी मांग की संभावना एचईसी के अधिकांश संभावित बाजार में या तो आयात विकल्प, एकल विनिर्माण आधार शामिल या जहां मौजूदा निर्माता मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं भविष्य में ऑर्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- iii. मानव संसाधन की औसत आयु लगभग 45 वर्ष है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाएँ अचूक संख्या में हैं। उनकी क्षमताओं को संवारा और बढ़ाया जा रहा है।
- iv. एचईसी के पास विशेष रूप से धातुकर्म विकास, खनन उपकरण और मशीनरी में एक पूर्ण अनुसंधान उन्मुख प्रोटोटाइप निर्माता के रूप में काम करने की क्षमता है।

1.4 खतरे:

- (i) आधुनिकीकरण के अभाव में, एचईसी मौजूदा बाजार में आधुनिक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है और आगामी निविदाओं में भाग लेने में असमर्थ है।
- (ii) डिलीवरी में देरी के कारण ग्राहक बातचीत के आधार पर नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। इसके अलावा, एचईसी को निविदाओं में भाग लेने से रोकने के लिए, विभिन्न ग्राहकों ने एचईसी के साथ भविष्य के व्यापारिक लेनदेन को निलंबित कर दिया है।
- (iii) टर्न-की परियोजना निविदाओं के मामले में, सीआईएल और सेल ने क्रमशः सकारात्मक नेट वर्किंग कैपिटल और सकारात्मक नेट वर्थ के लिए मानदंड पेश किए हैं, जिसके कारण एचईसी सीएचपी और सामग्री हैंडलिंग के लिए उच्च मूल्य वाली निविदाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं है।



सेवा में,
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य,
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी'), सीआईएन नं. U27100JH1958GOI000630, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसे इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय कथन के रूप में जाना जाता है। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006, संशोधित, ('एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप मामलों की स्थिति को देखें। 31 मार्च, 2024 को कंपनी का घाटा, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट का अनुभाग। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और इसके तहत बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

गोइंग कन्सर्न से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

हम वित्तीय विवरणों में नोट 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इंगित करता है कि कंपनी को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹. 27519.10 लाख का शुद्ध घाटा हुआ और, उस तारीख तकय कंपनी की मौजूदा देनदारियां उसकी कुल संपत्ति से ₹. 126807.66 लाख अधिक हो गईं। जैसा कि नोट 3 में बताया गया है, ये घटनाएँ या स्थितियाँ, नोट 33 में बताए गए अन्य मामलों और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ, संकेत करती हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। कार्यशील पूंजी के लिए धन के प्रवाह के बिना। कंपनी ने मई 2020 में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है और प्रबंधन ने बताया है कि व्यवसाय योजना मंत्रालय के साथ विचाराधीन है और इसके लिए कोई अद्यतन प्रदान नहीं किया गया था और इस संबंध में मामला में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मामले का जोर


क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
ए	नोट संख्या 15 देखें – जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा है, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि के ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें जमाधसुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, प्राप्य दावे आदि शामिल हैं। अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है प्रावधान का स्तर. कंपनी का आकलन मामले के तथ्यों से समर्थित नहीं है बल्कि पहले के वर्षों में लगातार अपनाई गई पिछली पद्धति से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी की रिपोर्ट की गई हानि और शुद्ध संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हमने देखा कि लगातार अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, कंपनी दिए गए सभी दीर्घकालिक अग्रिमों/सुरक्षा जमा के विरुद्ध लगभग 100% का प्रावधान कर रही है जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की पुस्तकों में जारी है।	कंपनी दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के लिए 100% प्रावधान करने की निरंतर प्रथा का पालन कर रही है जिसमें जमा/ सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम आदि शामिल हैं और जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की पुस्तकों में जारी हैं। उच्च स्तरीय निर्णय लागू करके प्रावधान की समीक्षा के लिए नोट किया गया संदिग्ध ऋणों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। इस संबंध में एक सतत प्रक्रिया के रूप में आवश्यक समायोजन /कार्यवाही की जा रही है।



बी	<p>नोट संख्या 8 देखें – जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है – ‘व्यापार देय – जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। बैलेंस शीट का 4(बी) – रु. 17410.28 लाख – जिसमें से आइटम नं. 4(बी)(प) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि रु. 644.66 लाख है, और मद संख्या। 4(बी)(पप) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया राशि रु. 16765.62 लाख है, जिसमें से मध्यम उद्यमों का बकाया राशि रु. 2676.82 लाख है और अन्य का बकाया – राशि रु. 14088.80 लाख है जिसे शामिल किया गया है दायित्व के रूप में।</p> <p>कंपनी ने नोट 33.17 – ‘वित्तीय विवरण के अन्य नोट्स’ में बताया है कि अतिदेय मूल देयता की राशि के अलावा, ब्याज की अतिरिक्त देयता रु. 8112.45 लाख है और इसे पुस्तकों में देयता के रूप में या आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है। लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अन्य नोट्स के अंतर्गत दिखाया गया है। इसके अलावा, कंपनी एमएसएमई क्षेत्र के लिए इस दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों को प्रमाणित करने के लिए कोई पत्राचार या कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। कंपनी की देनदारियां सुलह और शेष राशि की पुष्टि के बाद किए जाने वाले आवश्यक समायोजन की सीमा तक बताई गई हैं। देय ब्याज का समायोजन, यदि कोई हो, वहां पर।</p>	<p>नोट संख्या 8 – एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, जो खरीदार एमएसएमई से सामान खरीदता है या सेवाएं लेता है, उसे अनिवार्य रूप से अपने वार्षिक विवरण में एमएसएमई को बकाया मूल राशि और उस पर देय ब्याज के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करना होगा। निर्धारित प्रारूप में खातों की। एचईसी ने नोट संख्या 33.16 – ‘वित्तीय विवरण के अन्य नोट्स’ के तहत इस आवश्यकता का अनुपालन किया है।</p>
सी	<p>नोट संख्या 18 देखें – ‘व्यापार प्राप्य’ – रु. 40544.37 लाख (प्रावधान रु 29024.99 लाख) – नोट संख्या 21 – अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत ‘किराया और अन्य प्राप्य’ रु. 5659.26 लाख (प्रावधान रु. 3516.39 लाख) ये नोट बनाते हैं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा – दिखाया गया शेष पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। इसके अलावा, लेखांकन नीति के अनुसार, 3 वर्षों से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुई व्यापार प्राप्य की राशि पूरी तरह से प्रदान की जाती है, जबकि 12 महीने से अधिक के किराए और अन्य प्राप्तियों के मामले में पूरी तरह से प्रदान की जाती है और इस प्रावधान का आधार नहीं है कंपनी की लेखांकन नीति। इसके अलावा, सरकार से प्राप्तियां भी हैं। / सरकार. ऐसी एजेंसियां भी जो आमतौर पर संदिग्ध नहीं होती हैं और सामान्यतः देरी से लेकिन 100: पर वसूली की जा रही हैं। प्रावधानों को अक्सर उक्त प्राप्तियों की वसूली पर वापस लिखा जाता है। कंपनी के इन परिसंपत्ति प्रमुखों में सामंजस्य और शेष की पुष्टि के बाद किए जाने वाले आवश्यक समायोजन की सीमा तक अधिक या कम बताया गया है।</p>	<p>हालांकि, व्यापार प्राप्य में शेष जानकारी और दस्तावेजों के अनुसार हैं और उसी अभ्यास का लगातार पालन किया जा रहा है। किराए और अन्य प्राप्तियों के लिए एक उपयुक्त लेखांकन नीति की समीक्षा करने और तैयार करने के लिए नोट किया गया।</p>
डी	<p>नोट संख्या 8 देखें – जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है – व्यापार देय – जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। बैलेंस शीट का 4(बी) – रु. 17410.28 लाख – दिखाई गई शेष राशि पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। कंपनी की देनदारियां सुलह और शेष की पुष्टि के बाद आवश्यक समायोजन की सीमा तक बताई गई हैं।</p>	<p>नोट किया गया</p>
ई	<p>नोट संख्या 33.1 – क्रमांक देखें। 1 – पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई – रु. 5590.60 लाख (पिछला वर्ष बताया गया – रु. 8310.40 लाख) – इस वर्ष, कंपनी ने एक इकाई द्वारा दूसरे के लिए निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों की पूंजी प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया है कंपनी की इकाई/इकाइयां। नोट संख्या 33.1 – क्रम संख्या देखें। 2 – राजस्व खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई – रु. 47533.59 लाख (पिछला वर्ष – रु. 38810.38 लाख) – इस वर्ष, कंपनी ने एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई के लिए निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों की राजस्व प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया है / कंपनी की इकाइयां।</p>	<p>पूंजीगत वस्तुओं (स्वयं का विनिर्माण) का ठेका एक इकाई से दूसरी इकाई को इंटरप्लॉट ट्रांसफर दर पर दिया जा रहा है। हालांकि, मूल्य WIP में दिखाया जा रहा है, क्योंकि कोई तीसरे पक्ष की प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए ऐसे मूल्यों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
एफ	<p>नोट संख्या 33.16 देखें – कंपनी विविध देनदारों, विविध लेनदारों, उन पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकी, जिन्हें कंपनी के व्यवसाय के दौरान ऋण और अग्रिम और सुरक्षा जमा दिए गए थे।</p>	<p>नोट किया गया</p>
जी	<p>नोट संख्या – 21 देखें – किराया और अन्य प्राप्तियां – विविध देनदारों पर लेखांकन नीति है (नोट संख्या 1(9)) लेकिन अन्य प्राप्तियां जैसे किराया, बिजली शुल्क और जल शुल्क आदि के लिए, कोई लेखांकन नीति नहीं है। कंपनी यदि चालान की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर वसूली नहीं की जाती है, तो किराया, जल शुल्क, बिजली शुल्क आदि के खिलाफ प्राप्य राशि पर 100: का प्रावधान कर रहा है। इस प्रथा का बिना किसी आधार के पालन किया जा रहा है। विविध प्रावधान के लिए एक लेखांकन नीति है देनदारों का कहना है कि यदि देय अवधि 3 वर्ष से अधिक है तो 100: का प्रावधान किया गया है, लेकिन किराया, पानी और बिजली प्राप्तियों के लिए, यदि बकाया अवधि 12 महीने से अधिक है तो प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, एक उम्र के अनुसार वर्गीकरण किया गया है देनदार का प्रावधान लेखांकन नीति में नहीं है</p>	<p>किराए और अन्य प्राप्तियों के लिए एक उपयुक्त लेखांकन नीति की समीक्षा करने और तैयार करने के लिए नोट किया गया।</p>
एच	<p>वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्ति/देयता का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुरूप नहीं है</p>	<p>नोट किया गया</p>

आई	कंपनी द्वारा दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का प्रावधान वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्लांट प्रभारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किया गया है, लेकिन प्रबंधन हमारे सामने प्लांट प्रभारी के पास उपलब्ध जानकारी, समीक्षा रिपोर्ट और कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके आधार पर कंपनी द्वारा निर्णय और प्रावधान किया गया है।	आगे सुधार के लिए नोट किया गया.
जे	कंपनी ने संयंत्र प्रभारी द्वारा प्रमाणित अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर 100: प्रावधान किया है। प्रबंधन कोई भी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका और केवल 2 लाइन का बयान कि प्रगति में चल रही पूंजी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, वित्त विभाग द्वारा प्लांट प्रभारी से प्राप्त किया गया है और 100: प्रावधान किया गया है। जिन पूंजीगत कार्यों में वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है, उन प्रगतिरत कार्यों को कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित दर्शाया गया है, जो प्रथम दृष्टया स्थायी रूप से बंद हैं। कंपनी की इन प्रगति परियोजनाओं में पूंजीगत कार्य की समीक्षा करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसमें कंपनी ने कंपनी की कार्यशील पूंजी का पर्याप्त मात्रा में निवेश किया है।	नोट किया गया
के	कंपनी का कामकाज भी आउटसोर्स अनुबंधों पर आधारित है और उनके संचालन में किसी भी अनिश्चितता का कंपनी के कामकाज और राजस्व बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आकस्मिक दायित्व की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, भविष्य में असाधारण मुकदमेबाजी और नियामक कार्रवाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता है।	नोट किया गया
एल	कंपनी ने पीएफ ट्रस्ट को देय रू. 13905.91 लाख का भुगतान नहीं किया है, जिसमें पीएफ ट्रस्ट से लिए गए ऋण पर कर्मचारियों से की गई कटौती, स्वैच्छिक योगदान और उस पर ब्याज शामिल है। इसके अलावा, पीएफ अंशदान की 7467.33 लाख रुपये की राशि पीएफ ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं की गई।	नोट किया गया
एम	नोट नं. 33.23, कंपनी का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में कोई कमी नहीं देखी गई है, जबकि कंपनी ने पीएफ ट्रस्ट को रू. 21373.24 लाख की राशि हस्तांतरित नहीं की है और कंपनी ने इस संबंध में ट्रस्ट का कोई लेखापरीक्षित खाता प्रस्तुत नहीं किया है।	कम्पनी की बुरी वित्तीय स्थिति के कारण पीएफ ट्रस्ट में पीएफ बकाया जमा नहीं किया गया है तथा इसे नोट न. 33.13 (b) में दर्शाया गया है।
एन	सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन की संपत्ति और देनदारियां एचईसी को हस्तांतरित कर दी गईं और एस्करो खाते में पड़ी राशि इस संबंध में देयता से कम थी और इसके अलावा कंपनी के बैंक ने कार्यशील पूंजी में अपनी अतिदेय राशि के भुगतान के लिए इस एस्करो खाते में पड़ी राशि को मनमाने	एचईसी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में जाने से बचाने के लिए बैंक ने एस्करो खाते से अतिदेय बैंक ब्याज की राशि को समायोजित किया है। हालाँकि, लेन-देन का चित्रण किया गया है उचित रूप से.
ओ	कंपनी ने कंपनी की आकस्मिक देनदारी की समीक्षा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विभिन्न मंचों पर विभिन्न मामलों को देखने वाली एजेंसी से अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं की गई और न ही हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अंतिम अद्यतन, यदि कोई हो, हमें प्रदान नहीं किया गया था इसलिए रिपोर्ट की जा रही आकस्मिक देनदारी समीक्षा किए जाने वाले विभिन्न मामलों में शामिल मात्रा में वृद्धि या कमी के अधीन है।	कानूनी मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट में सुधार के लिए नोट किया गया।
पी	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाह्य या आंतरिक) की नियुक्ति नहीं की गई थी और आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अभाव में, हमारी रिपोर्टिंग कंपनी के प्रबंधन की ओर से इस चूक के अधीन है।	वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा सेल का गठन पहले ही किया जा चुका है और उचित रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि यह आने वाले वर्ष में प्रभावी हो।

ऊपर के संबंध में हमारी राय नहीं है।



अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत किया गया।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी


कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी के लेखा 133 (धारा) के तहत निर्धारित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ धारा 133 के तहत निर्धारित के अनुसार, कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय प्रदर्शन, संशोधित, और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण। स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जारी रखे जाने की क्षमता का खुलासा करने के रूप में, लागू करना, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है। एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता



मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बन सकता है।

- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजना बनाई गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय। शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर 'अनुबंध 1' में एक बयान देते हैं, उस पर कार्रवाई और उस पर प्रभाव पड़ता है खाते और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर 2016 ("ऑर्डर") के अनुसार, हम "अनुबंध 2" में दिए गए मामलों पर एक बयान देते हैं। आदेश के पैरा 3 और 4।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।
 - ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
 - ग) कम्पनी के कोलकाता और नई दिल्ली में शाखा कार्यालय हैं जिनके खाते मुख्यालय के साथ समेकित है
 - घ) इस बैलेंस शीट, लाभ और हानि नकदी प्रवाह के विवरण सहित इस रिपोर्ट के साथ खाते की पुस्तकों के के अनुरूप है।
 - ङ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं। कम्पनी (खाता) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है जैसा की संशोधित है अन्य मामले रिपोर्टिंग के अधीन है।
 - च) कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वित्तीय लेन-देन या मामलो पर को प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - छ) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के तहत किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट देखें 'अनुलग्नक 3'। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
 - झ) खातों में रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
 - ण) सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। यह उक्त प्रावधान लागू नहीं है।
 - ट) कम्पनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम लोगों को:
 - i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित केस के प्रभाव का खुलासा किया है।





- ii. कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक रूप से हानि के नुकसान के लिए।
- iii. प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।
- iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, जैसा कि खातों में नोट में प्रकट किया गया है, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या कोई भी) अन्य स्रोतों या निधियों के प्रकार) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(यों) में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचानी गई हो। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करते हैं।
- (ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-धारा (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।
- vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, यथासंशोधित, लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर प्रभावी रूप से लागू है 1 अप्रैल, 2023 से और तदनुसार संशोधित कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C

(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169
UDIN : 24417169BKASFU6684

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची



अनुलग्नक – 1 स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए

(रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हमारी रिपोर्ट के सेक्शन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए भी)

अनुलग्नक – 1

वित्तीय वर्ष 2023-24 खाते के ऑडिट के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र.सं.	प्रश्न	प्रबंधन का जवाब
अ	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है, लेकिन इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक जांच के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ एक मजबूत एकीकृत प्रणाली का अभाव है जो सभी विभागों के एकीकरण और विभिन्न प्रक्रिया के लिए आवश्यक है डिजीजनों के साथ ही हेड क्वार्टर में। प्लांट स्टोर पर आगे के स्टोर लीडर्स को नॉन-इंटीग्रेटेड सिस्टम पर रखा गया है। हालांकि, स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर कोई सामग्री निहितार्थ नहीं है।
ब	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखना है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाना चाहिए। क्या ऐसे मामलों का हिसाब ठिक से किया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण के लिए किए गए ऋणों/ऋणों/ ब्याज आदि की माफी या छूट के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ सरकार द्वारा दिए गए लोन के ब्याज का भी भुगतान नहीं किया है। भारत की ऋण और ब्याज की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण जो पहले से ही देय हैं।
स	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि (ग्रांट/सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त की गई धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया।

कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. – 003247C



(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. – 417169
UDIN : 24417169BKASFU6684

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-2

(समान तिथि के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)


1. (क) (a) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।
(b) कंपनी अमूर्त सम्पत्ती का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण नहीं रखा।
- (ख) प्रबंधन द्वारा इन संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान नमूना जांच के आधार पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कंपनी का नाम/के लिए शीर्षक विलेख हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं हमारे आगे के सत्यापन।
- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।
2. (क) प्रबंधन द्वारा प्रतिनियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित नहीं है, जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल योग में 10: या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है और जहां भी कोई विसंगतियां देखी गई हैं, उन्हें खाते की पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है।
(ख) किसी भी समय, कुल मिलाकर, पाँच करोड़ रुपये से अधिक की नई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

कंपनी द्वारा बैंक में दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया


3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। देयता भागीदारी या कोई अन्य पार्टियां। उप-खंड (ए) से (एफ) कंपनी पर लागू नहीं है।
4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत परिभाषित ऋण, निवेश, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जमाराशि स्वीकार नहीं की है, जैसा कि धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित किया गया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है और हमारे ऐसे रिकॉर्ड में ऑडिट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉस्ट ऑडिट नहीं किया गया है।
7. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री सहित अविवादित वैधानिक जमा करने में नियमित रही है कर, ब्रिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और नीचे दिये गये को छोड़कर, उपयुक्त प्राधिकारियों को कोई अन्य सामाग्री बकाया। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया। राशि की सूची :

अधिनियम का नाम/सांविधिक देय की प्रकृति	राशि (बकाया) रु लाख।
सीपीएफऋण एवं ब्याज	9059.73
स्वैच्छिक भविष्य निधि	4846.18
पीएफ नियोक्ता कंट्रीब्यूशन	3151.18
पीएफ कर्मचारी कंट्रीब्यूशन	4316.15
जल बकाया	6362.71
नगरपालिका कर	203.96
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण	4.00
जीएसटी रिवर्स चार्ज कर बकाया	698.46
पेशेवर कर	22.10

(ख) वैधानिक बकाया हैं, जो बकाया हैं, कुछ विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किये गये ऐसे विवादित बकाये का विवरण संलग्नक - "2ए"।



8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो खाते की किताबों में या आयकर अधिनियम, 1961 (43) का दर्ज नहीं किया गया है।
9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और सरकार से ऋण या उधार लिया है लेकिन कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। सरकार से प्राप्त ऋण। भारत और उस पर देय ब्याज के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज (रु 13908.05 लाख) का कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा बैंक से उधार लेने में कोई चूक नहीं है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) से रु. 3500.00 लाख की राशि का अंतर कॉर्पोरेट ऋण लिया है, जिसका प्रारंभिक वितरण रु. 2000.00 लाख है। राशि का उपयोग कंपनी द्वारा विशेष रूप से विनिर्माण के लिए किया जाना है और एनसीएल द्वारा दिए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध पुर्जों की आपूर्ति
(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
(च) कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। सहयोगी कंपनियों आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है ने वर्ष के दौरान) आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।
10. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए खंड 3(x)(a) आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई पसंदीदा आवंटन या निजी प्लेसमेंट या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन नहीं किया है और इसलिए खंड 3(xis)(b) आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।
11. (क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित है। केन्द्रीय सरकार।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii)(a) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (गपप)(ब) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टी लेनदेनद्वारा आवश्यक लेखांकन मानकों स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है।
14. (क) जैसा की नोट 33.13 (एच) में बताया गया है, कंपनी ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियुक्त नहीं किया है।
(ख) विचाराधीन अवधि के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।
15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 192 के तहत कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नहीं किया है कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित की गई हों।






- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
- (घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वह समूह नहीं है जिसके समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं।
17. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
19. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक का ज्ञान, भौतिक अनिश्चितता मौजूद है ऑडिट रिपोर्ट की तारीख कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं, जब तक कि व्यापार योजना भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाती, भारत सरकार, स्वीकार और अनुमोदित है और कार्यशील पूंजी के लिए धन का संचार किया गया है।
20. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी को छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में अव्ययित राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति का।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-धारा (5) धारा 135 के तहत किसी भी चल रही परियोजना के तहत बची हुई कोई भी राशि, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की प्रावधान के उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के तहत स्थानांतरित नहीं किया गया है।
21. चूंकि, कंपनी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार कर रही है और यह स्वयं, इसकी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों का कोई समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं कर रही है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची

कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C

Anjali Jain

(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169
UDIN : 24417169BKASFU6684



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-3

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की धारा 3 उप के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2024 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिए गए मार्गदर्शन नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय घटकों के बारे में बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।


लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार (भारत सरकार के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए 'गाइडेंस नोट') और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री के जोखिम के मूल्यांकन का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव डाल सकता है।



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। 31 मार्च, 2024, कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, विषय इस संबंध में हमारी टिप्पणियों के लिए।

- (क) अग्रिमों के साथ-साथ पुस्तकों में पड़े दायित्व को समय पर समायोजित नहीं किया जा रहा है। बहुत पुरानी प्रगति और पुरानी देनदारियों को कंपनी की पुस्तकों में पूरी तरह से बिना किसी समीक्षा के पूरा किया जा रहा है। कुछ मामले में अग्रिम/देय का मूल तिथी मिल भी नहीं पा रहा है।
- (ख) कंपनी के पास लीज रेंटल के प्राप्य की उम्र-वार जानकारी नहीं है।
- (ग) प्रविष्टियों को पास करते समय निर्माता और चेकर की अवधारणा का पालन नहीं किया जा रहा है।
- (घ) टर्न कि परियोजना में सम्पत्ति एवं देनदारी का वर्गीकरण का सिद्धांत वर्तमान एवं अवर्तमान के रूप में उचित रूप से नहीं लिया जाता है।
- (च) प्रावधान की प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रावधान की राशि में इस वर्ष के दौरान काफी ऊपर और नीचे की ओर संशोधन किए गए थे जो दस्तावेज लेखा नीति और समर्थित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ साल पहले अपनाई गई एक प्रथा का लगातार बिना किसी समीक्षा के पालन किया जा रहा है और वित्तीय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।


ऊपर के संबंध में हमारी राय नहीं है।

कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C

Anjali Jain

(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169
UDIN : 24417169BKASFU6684

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची



स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध – 2A

(अनुबंध में उल्लिखित – 2 पैरा vii (स) 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुभाग को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को उस तारीख के संदर्भ में)


कानून की प्रवृत्ति		लंबित अवधि जिससे राशि से संबंध है	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
Value Added Tax Act, 2005 (VAT) Central Sales Tax (CST)	फोरम, जहां लंबित है		VAT	CST	Total
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2008–2009	10.78	10.35	21.13
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2009–2010	19.63	57.76	77.39
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2010–2011	92.41	137.18	229.59
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2011–2012	79.18	794.55	873.73
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2013–2014	397.75	16.02	413.77
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2014–2015	904.90	19.75	924.65
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2015–2016	124.91	57.88	182.79
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2016–2017	25.80	1806.23	1830.37
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2017–2018	18.87	97.30	116.17
	Total		1674.23	2997.02	4671.25

Service Tax Act	Commissioner Appeal, Ranchi	2012-13 & 2013-14	Service Tax Act
			Rs. 221.05 Lakhs

Central Excise Act			Excise Duty
	CESTAT, Kolkata	2010-11 to 2014-15	Rs. 4272.25 Lakhs
	CESTAT, Kolkata	2015-16 to 2016-17	Rs. 1447.80 Lakhs
GST			
	GST Ranchi	2017-18	Rs. 552.57 Lakhs
	GST Ranchi	2018-19	Rs. 640.45 Lakhs
	GST Ranchi	July 2017 to March 2018	Rs. 8.78 Lakhs
The Employees provident fund & Miscellaneous Provision Act, 1952			PF Dues
	High Court of Jharkhand	Mar-1976 to Sep-1999	Rs. 9501.54 Lakhs

Jharkhand Municipal Act, 2011			Municipal Tax Dues
	झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर अयुक्त पदाधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का निर्देश दिया। एक पिटिशन 04.08. 2021 को निदेशक, शहरी राज्य विकास प्राधिकार, राँची के यहाँ फाइल है।	2016 - 2017	Rs. 1686.77 Lakhs

PHED Govt. of Jharkhand	उद्योग सचिव, झारखण्ड सरकार के समक्ष सेटलमेंट	upto 2011-12	Rs. 418.04 Lakhs
-------------------------	--	--------------	------------------





अनुलग्नक— 'द'

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 20 नवम्बर 2024 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मामला हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (b) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।




कृते एवं नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक की ओर से

(जे. एस. करापे)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात)

राँची





Annexure-E

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINEERING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY : All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:

SL. No.	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES


SL. No.	Name & Address of the Company	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1	N.A.				
2	N.A.				
3	N.A.				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

i. Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.									
c) State Govt(s) d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
SUB TOTAL : (A) (1)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
(2) Foreign									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other									
SUB TOTAL : (A) (2)									
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

B. PUBLIC SHAREHOLDING									
(1) Institutions									



a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
C) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(1):									
(2) Non Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(2):									
Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)									


C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	G.O.I	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) – N.A.

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100




5. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Amt in Lakh)				
	Secured Loans excluding deposits	Loans Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	17864.68	4789.00		22653.68
ii) Interest due but not paid		7529.27		7529.27
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
Total (i+ii+iii)	17864.68	12831.48		30696.16
Change in Indebtedness during the financial year				
Additions				
Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	18606.81	4789.00		23395.81
ii) Interest due but not paid		9119.05		9119.05
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)	18606.81	13908.05		32514.86

6 REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Sl.No	Particulars of Remuneration	Total Amount (Rs. Lakh)				
1	Gross salary					
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961					
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock Option					
3	Sweat Equity					
4	Commission -as % of profit -Other, Specify					
5	Others, please specify-					
6	Total (A)					
7	Ceiling As per the Act					




B Remuneration to other Directors:

Sl.No.	Particulars of Remuneration	Name of Director			Total Amount (Amt in Rs.)
		Prabha Dubey	Kamal Kishore Naik	Ravindra Gole	
	Independent Directors				
	(a) Fee for attending board committee meetings	90000	---	60000	150000
	(b) Commission				
	(c) Others, please specify- Sitting Fees				
	Total(i)	90000	---	60000	150000
	Other Non Executive Directors				
	(a) Fee for attending board committee meetings				
	(b) Commission				
	(c) Others, please specify- Sitting Fees				
	Total(ii)	90000	---	60000	150000
	TotalB= (i+ii)	90000	---	60000	150000
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD


Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total (Rs. Lakh)
		CEO	Company Secretary	CFO	
1	Gross Salary				Total
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		17.95		17.95
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission				
	as % of profit				
	others, specify				
5	Others, please specify				
	Total		17.95		17.95






7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					









हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31.03.2024 को तुलन पत्र


रु. लाख में


Note No.	31.03.2024	31.03.2023	
I. इक्विटी एवं देयताएँ			
(1) शेयरधारक फंड			
(a) शेयर पूँजी	2	60607.88	60607.88
(b) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(196766.92)	(168673.49)
(2) शेयर उपयोग रकम			
लंबित आवंटन		0.01	0.01
(3) गैर चालू देयताएँ			
(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	0.00	0.00
(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	5	2476.71	683.76
(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	6874.66	6715.94
(4) चालू देयताएँ			
(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	18606.81	17864.68
(ब) व्यवसाय देय		644.66	677.80
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया			
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाता का कुल बकाया	8	16765.62	13206.33
(स) अन्य चालू देयताएँ	9	136315.22	111623.36
(द) लघुकालीन प्रावधान	10	2042.01	2123.86
कुल		47566.66	44830.13
II. परिसम्पत्तियाँ			
(1) गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) नियत परिसम्पत्तियाँ			
(i) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कार	11	3381.94	3942.33
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	12	0.00	0.00
(iii) पूँजीगत चालू कार्य	13	1992.48	1989.86
(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	9.60	9.60
(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	16	0.00	0.00
(2) चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	17	9709.36	10456.14
(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	11519.39	10110.07
(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	4380.05	5288.48
(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	14430.61	10009.97
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	2142.87	3023.32
कुल		47566.66	44830.13

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1
वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33
टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं केश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।



ए. के. कंट
कम्पनी सचिव


सीएमए राजेश गांधी
उपमहाप्रबंधक (वित्त) (A & B)


सीएमए मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)


कोप्पु सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C


(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची





हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लाभ एवं हानि ब्यौरे
31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रु लाख में

	NoteNo.	2023-24	2022-23
I. प्रचालन से राजस्व	22	16511.71	9243.80
II. अन्य आय	23	5306.14	6154.39
III. कुल राजस्व		21817.85	15398.19
IV. व्यय			
(क) सामग्री खपत लागत	24	3936.00	1281.31
(ख) समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25	137.65	3194.02
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	11417.58	10674.53
(घ) वित्तीय लागत	27	4568.86	4256.27
(ङ) मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28	560.38	570.84
(च) अनुसंधान एवं विकास व्यय	29	0.00	64.18
(छ) अन्य व्यय			
(i) निर्माण सेवा व्यय	30(I)	3258.95	3300.04
(ii) निर्माण एवं अन्य परिचालन व्यय	30(II)	11901.81	6900.76
(iii) प्रशासन, विक्री एवं वितरण व्यय	30(III)	8332.62	7791.66
(iv) अन्य प्राक्धान व्यय एवं ह्रास	30(IV)	4208.90	2426.81
कुल व्यय		48322.75	40460.42
पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि		(26504.90)	(25062.23)
पूर्व अवधि संमजन (निवल)	31	0.00	(47.51)
V. अपवादिक, असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(26504.90)	(25109.74)
VI. अपवादिक आइटम			
VII. असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(26504.90)	(25109.74)
VIII. असाधारण आइटम	32	(1014.20)	2025.15
IX. कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)		(27519.10)	(23084.59)
X. कर व्यय			
(i) चालू कर	0.00	0.00	
(ii) आस्थगित कर	0.00	0.00	0.00
XI. सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)		(27519.10)	(23084.59)
XII. विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)		0.00	0.00
XIII. विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय		0.00	0.00
XIV. विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)		0.00	0.00
अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(27519.10)	(23084.59)

प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मूल्य रु. 1000)

(1) रु में मूल (454.05) (380.88)


(2) रु. में कमी (454.05) (380.88)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1

वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ

33





टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ
कम्पनी सचिव

सीएमए राजेश गांधी
उपमहाप्रबंधक (वित्त) (A & B)

सीएमए मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)

कोप्पु सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C

(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची






हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अप्रैल 2023-मार्च 2024 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

रु लाख में

	2023-24	2022-23
(अ) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले शुद्ध लाभ	(26504.90)	(25109.74)
अतिरिक्त सामान्य मदों	(1014.20)	2025.15
		(23084.59)
के लिए समायोजन		
मूल्यहास	560.38	570.84
ब्याज व्यय	4568.86	4256.27
अतिरिक्त सामान्य मदें	1014.20	(2025.15)
पट्टा आय	(574.33)	(574.33)
अर्जित ब्याज	(42.41)	(90.84)
दीर्घावधि प्रावधान	158.72	(1726.82)
अल्पावधि प्रावधान	(81.85)	5603.57
		(481.23)
		(71.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(21915.53)	(23155.85)
के लिए समायोजन		
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	(0.00)	0.00
लघु सावधि व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	(1409.32)	9478.48
किराया और अचन्य प्राप्य (शुद्ध)	880.45	9.86
माल (शुद्ध)	746.78	4511.96
व्यापार देय	3526.15	(3582.00)
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	1792.95	164.21
अन्य वर्तमान देनदारियां	24691.87	19545.54
लघु अवधि के ऋण और अग्रिम (शुद्ध)	(4420.64)	25808.24
		(1993.38)
		28134.67
संचालन से उत्पन्न नकद	3892.71	4978.82
शुद्ध परिचालन गतिविधियों से	3892.71	4978.82
(ब) नकद निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद अचल संपत्तियों की	0.00	(7.86)
विक्री/समायोजन	0.00	0.94
में समायोजन पूंजी कार्य-प्रगति में समायोजन (शुद्ध)	(2.62)	(509.60)
अर्जित ब्याज	42.41	90.84
लीज आय	574.33	574.33
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	614.12	148.65
(स) नकदी प्रवाह से गतिविधियां		
ब्याज भुगतान	(4568.86)	(4256.27)
असाधारण मदें	(1014.20)	2025.15
बैंक उधार	742.13	(2499.72)
रिजर्व और अधिशेष	(574.33)	(574.33)
शुद्ध नकदी वित्तीय गतिविधियों	(5415.26)	(5305.17)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(908.43)	(177.70)
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष	5288.48	5466.18





नकद और नकद समकक्ष का समापन शेष


4380.05


5288.48


(908.43)


(177.70)

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशप्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।


ए. के. कंट
कम्पनी सचिव


सीएमए राजेश गांधी
उपमहाप्रबंधक (वित्त) (A & B)


सीएमए मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)


कोप्पु सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. - 003247C



(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. - 417169

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची



कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है
एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

टिप्पणी संख्या -1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

2 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

3 वस्तुसूची मूल्य

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

ड) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात् चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

4 राजस्व पहचान

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके जी.एस.टी. बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या प्रावधानिक मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को जी.एस.टी. छोड़कर लेखाबद्ध किया गया है।

5 दीर्घकालीन टर्नकी संविदाएं

(क) राजस्व पहचान


कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है। उपस्कर/पद्धति के सप्लाय/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचान: वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।



6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/ वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी व्यय को आय में पुनःलिखित हेतु एक वर्ष बाद में प्रावधान होगा। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।
- बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई है।
- उपदान (ग्रेच्युटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. मूल्य हास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार

(अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/ प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।

(ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया/सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षधीन बाद के लिए अग्रणीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात् दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धृत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा लेन-देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पत्ति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/कंपनी के खिलाफ/ ग्राहकों से घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) या एचइसी द्वारा घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) ग्राहकों के बिल पर



- (क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।
- (ख) प्राप्त की गई परिनिर्धारित नुकसानी को वर्ष में वसूली के तीन साल के बाद आय के रूप में पहचान की गई है।
- (ग) ग्राहकों द्वारा कटौती एल डी को वर्ष में व्यय हेतु पहचान की गई है।
- (घ) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रेपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

- (अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन
- (ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या
- (स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग
- (द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु.बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

17. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में रूपये एक लाख से अधिक नहीं है को चालु वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है एवं खातों के प्राकृतिक शिर्षो को प्रभावित करता है।



तुलन पत्र ब्यारे के टिप्पणी निर्माण अंश

	31.03.24	रु लाख में 31.03.23
टिप्पणी संख्या -2	शेयर पूंजी	
अधिकृत पूंजी		
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-	<u>100000.00</u>	<u>100000.00</u>
निर्गत एवं अभिदत पूंजी		
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/- के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496 (विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।	<u>60607.88</u>	<u>60607.88</u>
निबल शेष	<u>60607.88</u>	<u>60607.88</u>

प्रमोटर का शेयर होल्डिंग

वर्ष समाप्ति पर प्रमोटर के पास शेयर			वर्ष के दौरान % बदलाव
प्रमोटर नाम	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	
भारत के राष्ट्रपति	6060788	100%	NIL

टिप्पणी संख्या -3		आरक्षित एवं अधिशेष	
पूंजी आरक्षित			
पूंजी आरक्षित	7264.98		7839.31
प्रारंभिक अधिशेष	0.00		0.00
	<u>7264.98</u>		<u>7839.31</u>
वर्ष के दौरान योग	574.33	6690.65	574.33
वर्ष के दौरान कटौती			
सरप्लस	(175938.47)		(152853.88)
प्रारंभिक अधिशेष	<u>(27519.10)</u>	<u>(203457.57)</u>	<u>(23084.59)</u>
योग		<u>(196766.92)</u>	<u>(175938.47)</u>

टिप्पणी संख्या -4	दीर्घकालीन उधार	
योग	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

टिप्पणी संख्या -5	अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	
(a) व्यापार देय		
विविध देनदार	1516.36	343.03
(b) अन्य		
अन्य ठेकेदार से प्रतिभूति एवं अन्य जमा	946.67	327.05
अन्य देयताएँ	13.68	13.68
योग	<u>2476.71</u>	<u>683.76</u>

टिप्पणी संख्या- 5 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची


विवरण	31-03-2024				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	1428.91	28.85	23.40	35.20	1516.36
(iii) विवादित बकाया-एमएमएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

टिप्पणी संख्या- 5 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची

विवरण	31-03-2024				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	37.23	304.84	0.44	0.52	343.03
(iii) विवादित बकाया-एमएमएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया - अन्य	0.00	9	0.00	0.00	0.00





रु लाख में

31.03.24

31.03.23

टिप्पणी -6**दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ****(a) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था**

उपदान हेतु व्यवस्था	5240.87		5250.85	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	1357.55		1234.42	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	<u>21.61</u>	6620.03	<u>35.35</u>	6520.62
(ब) अन्य				
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	62.38		62.38	
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	<u>192.25</u>	<u>254.63</u>	<u>132.94</u>	195.32
योग		<u>6874.66</u>		<u>6715.94</u>

टिप्पणी -7**प्रतिभूत ऋण****अल्पकालीन ऋण**

कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चा माल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पूर्जो एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत) MCLR के उपर ब्याज दर / 8.10		18606.81		17864.68
योग		<u>18606.81</u>		<u>17864.68</u>

टिप्पणी त्र- बैंक में प्रस्तुत चालू सम्पत्ती का विवरण
समान्यतः लेखा खाता के साथ समझौते में होता है।

टिप्पणी -8**व्यवसाय देय**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदार का कुल बकाया माध्यम उद्यमों का कुल बकाया		14088.80		11025.66
योग		<u>2676.82</u>		<u>2180.67</u>
		<u>16765.62</u>		<u>13206.33</u>



टिप्पणी संख्या- 8 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची

विवरण	31-03-2024				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1546.55	287.56	347.82	1139.55	3321.48
(ii) अन्य	2950.16	392.72	1747.93	8997.99	14088.80

टिप्पणी संख्या- 8 (b) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची

विवरण	31-03-2023				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1299.97	259.64	427.62	871.24	2858.47
(ii) अन्य	303.52	1724.79	924.10	8073.25	11025.66





तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

	31.03.24	31.03.23
टिप्पणी संख्या -9	अन्य चालू देयताए	
कर्मचारियों के देयताएँ*	33483.08	25159.40
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व	1.36	1.36
भारत सरकार से ऋण*	4789.00	4789.00
जोड़े : प्राप्त ब्याज एवं सरकारी ऋण पर देय सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)	9119.05	8042.48
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (13-14)	18243.00	18243.00
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (17-18)	9245.61	9245.61
घटाये : अग्रिम कर शेष	6200.00	6200.00
जोड़े : ब्याज आय	2054.39	2054.39
सीईएफसी देनदारी	2792.48	2636.24
ठेकेदारों से प्रतिभूति एवं अन्य जमा राशि अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम 5 cum एक्सकेवेटर सीआइएसएफ बकाया ब्याज सहित विद्युत बकाया	3535.48	3379.24
जल कर बकाया	272.63	272.64
सीपीएफ ब्याज	3995.04	4142.66
ग्राहकों से अग्रिम	500.00	500.00
अन्य देयताएँ	20467.97	15995.44
सुरक्षा खर्च की देनदारी	22027.75	18639.68
देय कर	6362.71	5962.28
कार्य अनुबंध	4432.01	1994.02
ईईएसएल देनदारी	15155.31	12759.87
विविध	86.52	88.44
योग	136315.22	111623.36

* यह ग्रेच्युटी पर ब्याज बकाया रू.1424.16 लाख शामिल करता है।

** भुगतान के लिए परिपक्व सरकारी ऋण

टिप्पणी संख्या -10

SHORTTERM PROVISIONS

(अ) कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था उपदान के लिए व्यवस्था	635.68	751.26
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	1046.29	941.55
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	41.33	23.98
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	140.97	136.16
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	123.89	123.89
(ब) अन्य		
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	53.85	147.02
योग	2042.01	2123.86



तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

टिप्पणी संख्या -11

सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कर

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.23 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.24 को लागत	31.03.24 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.24 को तक	31.03.24 को	31.03.23 को
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि (भूमि विकास सहित)	218.88	0.00	0.00	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	218.88	218.88
भवन	5838.91	0.00	0.00	5838.91	5452.18	16.15	0.00	5468.33	370.58	386.73
सड़के	266.17	0.00	0.00	266.17	252.90	0.00	0.00	252.90	13.27	13.27
प्लांट एवं मशीनरी	27797.83	0.00	0.00	27797.83	25215.91	443.80	0.00	25659.71	2138.12	2581.92
फर्नीचर एवं उपस्कर	166.76	0.00	0.00	166.76	135.91	3.72	0.00	139.63	27.13	30.85
मोटर गाड़ी	147.73	0.00	0.00	147.73	137.15	0.80	0.00	137.95	9.78	10.58
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	445.94	0.78	0.00	446.72	22.67	23.45
कार्यालय उपस्कर	233.00	0.00	0.00	233.00	214.33	8.84	0.00	223.17	9.83	18.67
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	739.35	0.00	0.00	739.35	611.94	47.25	0.00	659.19	80.16	127.41
विद्युत संस्थापनाएँ एवं उपस्कर	843.55	0.00	0.00	843.55	723.30	10.84	0.00	734.14	109.41	120.25
पाइपलाइन एवं सल्यसेस	605.56	0.00	0.00	605.56	566.95	2.17	0.00	569.12	36.44	38.61
अन्य परिसम्पत्तियाँ अ) के लघु योग	37327.13	0.00	0.00	37327.13	33756.51	534.35	0.00	34290.86	3036.27	3570.62
लीज में दिए गए परिसम्पत्ति										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	22.92	0.00	554.35	252.73	275.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग	829.40	0.00	0.00	829.40	531.43	22.92	0.00	554.35	275.05	297.97
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2023 को प्लांट एवं मशीनरी	1014.39	0.00	0.00	1014.39	952.04	0.00	0.00	952.04	62.35	62.35
2022-23 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ स) के लघु-योग	1014.39	0.00	0.00	1014.39	952.04	0.00	0.00	952.04	62.35	62.35
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अ+ब+स)	39170.92	0.00	0.00	39170.92	35239.98	557.27	0.00	35797.25	3373.67	3930.94

B. अमूर्त संपत्ति

कंप्यूटर सॉफ्ट वेयर	15.54	0.00	0.00	15.54	4.15	3.11	0.00	7.26	8.28	11.39
कल - अमूर्त संपत्ति (B)	15.54	0.00	0.00	15.54	4.15	3.11	0.00	7.26	8.28	11.39
कुल - (A+B)	39186.46	0.00	0.00	39186.46	35244.13	560.38	0.00	35804.51	3381.95	3942.33
विगत वर्ष के आंकड़े	39179.54	7.86	0.94	39186.46	34673.29	570.84	0.00	35244.13	3942.33	

चालू अवधि मूल्यह्रास

560.38

कुल ह्रास

560.38

**खाली जमीन का औसत सर्कल मूल्य रुपये 1120/- लाख प्रति एकड़, मूल्य 4538688.00/- लाख है।



तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

टिप्पणी :- जमीन की स्थिती	एकड़
(क) झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2342.03
(ख) सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग) स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	647.08
(घ) अतिक्रमण जमीन	73.05
(ङ) लीज में दिए गए जमीन	313.31
(च) अपने यूज के लिए जमीन	<u>3666.04</u>
मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	<u>7199.51</u>

टिप्पणी संख्या -12

अमूर्त परिसम्पतियां विकासाधीनी

कुल

विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पतिया

0.00

0.00

0.00

0.00





रु लाख में

31.03.24

31.03.23

टिप्पणी संख्या -13

पूँजीगत चालू कार्य

पूँजीगत चालू कार्य

प्लांट एवं मशीनरी

घटाये : व्यवस्था

4131.52

4128.90

2139.04

2139.04

TOTAL

1992.48

1989.86

नोट संख्या - 13 (अ) कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईप	31.03.2024 तक				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं	0.00	512.22	1268.63	211.63	1992.48
अस्थायी रूप से परियोजनाएं निलंबित	0.00	0.00	572.85	1566.19	2139.04

नोट संख्या - 13 (बी) 31.03.2023 को


सीडब्ल्यूआईप	31.03.2023 तक			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
2 भट्टी (एफएफपी)	0.00	211.63	0.00	0.00
6000 टन प्रेस (एफएफपी) का	0.00	1780.85	0.00	0.00

नोट संख्या - 13 (अ) कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईप	31.03.2023 तक				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं	509.60	1268.63	0.00	211.63	1989.86
अस्थायी रूप से परियोजनाएं निलंबित	0.00	0.00	572.85	1566.19	2139.04

नोट संख्या 13 (बी) पूँजीगत कार्य-प्रगति समापन अनुसूची 31.03.22 तक पूरा किया जाना है।

सीडब्ल्यूआईप	31.03.22 तक पूरा किया जाना है।			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
2 भट्टी (एफएफपी)	0.00	211.63	0.00	0.00
6000 टन प्रेस (एफएफपी) का	0.00	1778.23	0.00	0.00



परियोजना का विवरण जहां गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है

	31.03.2024	31.03.2023
एससीएच संख्या : 01405.2 दुकान का आधुनिकीकरण (एफएफपी)	58.24	58.24
एससीएच संख्या : 11805.1 सॉफ्टवेयर (एफएफपी)	50.91	50.91
संख्या : 11102.1 सीईटीपी (एफएफपी)	210.93	210.93
प्रौद्योगिकी विकास -Cniitmash (FFP)	572.81	572.81
SCHNO: 11408-1CEN.Cylinder/6000T(FFP)	59.79	59.79
विविध आइटम (FFP)	15.58	15.58
SCHNO:71210-1 रोलर टेबल (FFP)	107.18	107.18
SCHNO:71311-4 इलेक्ट्रो हाईड्रो (FFP)	303.71	303.71
प्लेट स्ट्रेटनिंग (HMBP)	31.51	31.51
वेल्डिंग रोटेटर (HMBP)	0.86	0.86
30/5TCrane(HMBP)	5.79	5.79
मशीन नंबर SR125(HMBP) के लिए फाउंडेशन	3.16	3.16
रेडियो नियंत्रण प्रणाली	5.20	5.20
सीएनसी लेथ	140.00	140.00
सीएनसी लेथ मॉडल LRT -65N/5M 020 शॉप को फाउंडेशन	0.52	0.52
OKBM (तकनीकी ऑडिट पर सेवाएं प्रदान करना) (HMBP)	572.85	572.85
कुल	2139.04	2139.04



NOTENO.-14

**31.03.24
गैर-चालू निवेश**

इक्विटी उपकरण में निवेश

(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575
(विगत वर्ष 3575) ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।

<u>0.36</u>	<u>0.36</u>
<u>0.36</u>	<u>0.36</u>

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है।

टिप्पणी संख्या -15

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(अ) ऋण एवं अग्रिम

अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य है (ठेकेदारों वाह्य पार्टियों को आपूर्ति तथा/समंजन निलंबन सामग्रियों के मूल्य सहित)

	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
संदेहात्मक	655.51	655.51	0.00	655.51	655.51	0.00
(ब) प्रतिभूति जमा						
निजी पार्टियों के पास जमा	0.87	0.32	0.55	0.87	0.32	0.55
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	208.23	199.27	8.96	208.23	199.27	8.96
(स) सुरक्षा जमा राशि	33.71	33.71	0.00	33.71	33.71	0.00
(द) अन्य कर्मचारियों का अग्रिम प्राप्य दावें	0.64	0.64	0.00	0.18	0.18	0.00
	<u>4266.69</u>	<u>4266.60</u>	<u>0.09</u>	<u>4266.69</u>	<u>4266.60</u>	<u>0.09</u>
Total	5165.65	5156.05	9.60	5165.19	5155.59	9.60

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण

प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	0.00	0.00
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	9.60	9.60
संदेहात्मक	<u>5156.05</u>	<u>5155.59</u>
योग	<u>5165.65</u>	<u>5165.19</u>

NOTE NO.-16

अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति

दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य

अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये संदेहात्मक

योग (अ)

0.00	0.00
<u>3703.09</u>	<u>3048.84</u>
<u>3703.09</u>	<u>3048.84</u>

(ब) अन्य

संदेहात्मक

योग (ब)

लघु योग (अ+ब)


0.00	0.00
<u>21.51</u>	<u>21.51</u>
<u>21.51</u>	<u>21.51</u>
<u>3724.60</u>	<u>3070.35</u>
<u>3724.60</u>	<u>3070.35</u>

घटायें: संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------	-------------	-------------

Notes:

1. दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में रु. 267.58 लाख (विगत वर्ष रु 222.67 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।



तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश


नोट संख्या 16 (अ) व्यापार प्राप्य आयु अनुसूची

रु लाख में

विवरण	31-03-24					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	3724.60	3724.60
(iii) विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

नोट संख्या 16 (ब) व्यापार प्राप्य आयु अनुसूची

विवरण	31-03-23					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.35	3070.35
(iii) विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




टिप्पणी संख्या -17
वस्तुसूची

(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	5242.57		5289.44	
घटाये: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	3279.52	1963.05	<u>3080.14</u>	2209.30
भंडार, अतिरिक्त पूर्ण एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	1272.60		1260.50	
घटाये: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	444.18	828.42	<u>347.63</u>	912.87
अलगन औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	151.05		428.66	
घटाये: व्यवस्था	52.76	98.29	<u>51.94</u>	376.72
निर्मित उत्पाद स्टॉक	445.77		446.42	
घटाये: व्यवस्था	89.11	356.66	<u>89.11</u>	357.31
प्रगतिशील कार्य	4442.12		4882.62	
घटाये: व्यवस्था	429.66	4012.46	<u>429.66</u>	4452.96
प्रगतिशील कार्य (टर्न की प्रोजेक्ट)	2450.48		2146.98	
घटाये: व्यवस्था	0.00	2450.48	<u>0.00</u>	2146.98
कुल माल	14004.59		14454.62	
घटाये : प्रावधान/स्टॉक समंजन	4295.23	9709.36	<u>3998.48</u>	10456.14
योग		9709.36		<u>10456.14</u>

टिप्पणी:

1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए रु. 203.55 लाख (विगत वर्ष रु. 203.55 लाख) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रेप दर पर किया गया है, शामिल है।
2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्ण जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य रु. 4086.18 लाख (विगत वर्ष रु. 3845.87 लाख) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।
3. शॉपफ्लोर में रु. 59.22 लाख का स्क्रेप सहित कच्चा माल एवं अवयव (विगत वर्ष रु. 60.91 लाख) शामिल है।



31.03.24

टिप्पणी संख्या -18

व्यवसाय प्राप्य योग्य

अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग
अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग अप्रतिभूत प्राप्य:समझे गये	8426.15	3078.68	11504.83	9096.41	999.10	10095.51
संदेहात्मक समझे गये	26568.71	1662.19	28230.90	28574.17	132.89	28707.06
लघु योग (अ)	34994.86	4740.87	39735.73	37670.58	1131.99	38802.57
(ब) अन्य						
अप्रतिभूत प्राप्य:समझे गये	14.56	0.00	14.56	14.34	0.22	14.56
संदेहात्मक समझे गये	794.09	0.00	794.09	770.78	0.00	770.78
लघु योग (ब)	808.65	0.00	808.65	785.12	0.22	785.34
योग (अ+ब)			40544.38			39587.91
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			16423.31			16859.04
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था			12601.68			12618.80
निबल योग			11519.39			10110.07


टिप्पणी :- 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में रु. 7249.95 लाख (विगत वर्ष रु. 7365.33 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

नोट संख्या 18 (ए) व्यापार प्राप्य उम्र अनुसूची

विवरण	31-03-24					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	3078.68	132.88	953.70	1320.09	6034.04	11519.39
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है।	1660.36	12.55	355.57	1810.80	25148.18	28987.46

नोट संख्या 18 (ए) व्यापार प्राप्य उम्र अनुसूची

विवरण	31-03-23					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	1242.86	411.31	1059.96	881.91	6514.03	10110.07
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है।	128.57	219.84	2111.44	2882.43	24098.03	29440.31



31.03.24	31.03.23
-----------------	-----------------

टिप्पणी संख्या –19
नकद एवं नकद समकक्ष

(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	1622.87	2028.30
(ब) अपने पास रखे हुए	0.32	0.32
नकद घटाया : प्रावधान*	0.32	0.32
(स) अन्य	1622.87	2028.30
बैंकों के साथ चिह्नित शेष	2757.18	3260.18
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा**	4380.05	5288.48
TOTAL	4380.05	5288.48

* विकृत नोट एवं सिक्के प्रचलन में नहीं है।


** पूंजीलाभ कर भुगतान के लिए अनुउपयोग सरकारी अनुदान एवं उपार्जित ब्याज TDR रु. 2741.36 लाख सम्मिलित करता है।

टिप्पणी संख्या –20
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम
(अ) ऋण एवं अग्रिम

अप्रतिभूति प्राप्य समझे गये	4190.24	1266.28
(ब) प्रतिभूति जमा		
निजी पार्टियों के पास जमा	0.99	4.59
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	726.17	617.74
(स) सुरक्षित जमा		
असुरक्षित समझा माल	1579.61	1119.13
(ब) अन्य		
कर्मचारियों का अग्रिम	46.36	111.39
पूर्वदत्त व्यय	93.43	97.81
प्राप्य दाव	7169.33	6409.68
स्रोत पर काटे गये आयकर #	847.88	607.37
घटाये: अप्राप्य एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था	223.40	224.02
लघु योग	14654.01	10233.99
योग	14430.61	10009.97

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का
विवरण

प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	8660.76	7624.56
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	5769.85	2385.41
संदेहात्मक	223.40	224.02
योग	14654.01	10233.99



टिप्पणी संख्या -21

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

किराया एवं अन्य प्राप्य

अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग से

प्राप्य जमीन बिक्री GOJ

अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये

झारखण्ड सरकार

i) किराया, जल, बिजली, लोक उद्यम
एवं सरकारी विभाग

ii) संदेहात्मक

ब) निजी पार्टी

i) अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये

ii) संदेहात्मक

योग (अ+ब)

घटाये : संदेहात्मक प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान

निबल रकम

0.00

1014.20

1928.73

1799.81

2623.71

4552.44

2199.79

3999.60

214.14

209.31

892.68

1106.82

781.18

990.49

5659.26


6004.29

3516.39

2980.97

2142.87

3023.32



2023-24

2022-23

टिप्पणी संख्या -22

प्रचालन से राजस्व

बिक्री एवं सेवाएँ

उत्पादों की बिक्री
सेवाओं की बिक्री

16501.96

9.75

16511.71

8766.03

377.32

9143.35

अन्य प्रचालन राजस्व

आंतरिक उपयोग के लिए जॉब
जोड़े: अन्तर प्लांट हस्तान्तरण

0.00

0.00

0.00

100.45

0.00

100.45

योग

16511.71

9243.80

टिप्पणी संख्या -23

अन्य आय

ब्याज

42.41

90.84

किराया

2045.60

1843.74

स्टोर्स की बिक्री

16.73

1116.70

विविध आय

16.76

311.92

एच टी आई से आय

7.66

10.02

अधिक प्रावधान प्रतिलेखित

2871.55

2468.07

जल एवं बिजली चार्ज

305.43

313.10

योग

5306.14

6154.39

टिप्पणी संख्या -24

सामग्री खपत लागत

कच्चा माल एवं अवयवों की खपत

162.23

588.82

घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण

23.93

138.30

85.84

502.98

स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत

3797.70

778.76

घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण

0.00

3797.70

0.43

778.33

योग

3936.00

1281.31

टिप्पणी संख्या -25

चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन

चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में ह्रास/अभिवृद्धि

चालूकार्य

प्रारंभिक स्टॉक

7029.60

9967.27

समापन स्टॉक

6892.60

137.00

7029.60

2937.67

तैयार स्टॉक

प्रारंभिक स्टॉक

446.42

702.77

समापन स्टॉक

445.77

0.65

446.42

256.35

योग

137.65

3194.02





रु लाख में
2023-24 2022-23

टिप्पणी संख्या -26

कर्मचारी हितलाभ व्यय

वेतन, मजदूरी एवं बोनस	8380.48	8918.78
भविष्य निधि के मद में निगम अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड	952.74	1016.99
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय	391.65	636.50
छुट्टी नकदीकरण	434.46	(710.00)
ग्रेच्युटी (उपदान) *	1258.25	876.44
योग	11417.58	10738.71
घटाये: अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण	0.00	64.18
योग	11417.58	10674.53

* यह बकाया ग्रेच्युटी पर ब्याज 391.49 (पिछले वर्ष 361.43 लाख) शामिल करता है।

टिप्पणी संख्या -27

वित्तीय लागत

बैंक उधार पर ब्याज	3368.65	3022.65
सरकारी ऋण पर ब्याज	1076.57	1076.57
अन्य ऋण पर ब्याज	123.64	157.05
योग	4568.86	4256.27

टिप्पणी संख्या -28

मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य ह्रास डिप्लेशन व्यय	557.27	567.73
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण	3.11	3.11
योग	560.38	570.84


टिप्पणी संख्या -29

अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय		
वेतन एवं भत्ते	0.00	64.18
योग	0.00	64.18




	2023-24		2022-23	
टिप्पणी संख्या –30	अन्य व्यय			
(अ) निर्माण सेवा लागत				
जल, ऊर्जा और इंधन	3152.47			3154.39
मरम्मती एवं अनुरक्षण				
प्लांट एवं मशीनरी	9.93		28.13	
बिल्डिंग	2.75		2.93	
अन्य	19.45	32.13	22.58	53.64
बीमा		74.35		92.01
		<u>3258.95</u>		<u>3300.04</u>
लघु योग (अ)				
ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय				
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	13.97		42.13	
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	278.14		483.97	
वाह्य एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब	1872.66		4200.72	
टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	9662.64		2053.00	
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	88.35	11915.76	163.07	6942.89
घटाये: अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)		13.95		42.13
		<u>11901.81</u>		<u>6900.76</u>
लघु योग (ब)				
स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय				
किराया	22.05			33.72
बिजली एवं पेय जल व्यय	813.62			1302.07
सुरक्षा व्यय	2736.74			2556.57
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज	1752.32			1451.02
यात्रा एवं सवारी भत्ता	20.83			56.56
बैंक प्रभार	223.21			249.15
टेलीफोन एवं डाक व्यय	18.08			20.59
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय	2.79			9.19
विविध	90.15			149.03
विलम्ब प्रेषण पर ब्याज	2448.58			1313.99
मोटर वाहन चालन व्यय	77.57			135.24
परामर्शी एवं वैधिक व्यय	71.51			60.00
नगरपालिका कर/प्रभार	33.71			34.96
एल.डी कटौती एवं चार्जड	12.17			365.54
बिक्री एवं वितरण व्यय	5.87			49.26
अंकेक्षक पारिश्रमिक				
अंकेक्षक शुल्क	2.70		2.70	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.50		0.50	
आंतरिक अंकेक्षक शुल्क	0.15	3.35	0.15	3.35
रिर्बसमेन्ट व्यय		0.07		1.42
लघु योग (स)		<u>8332.62</u>		<u>7791.66</u>



द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	3846.30	1662.68	
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	27.09	
स्टॉक सत्यापन अन्तर का प्रावधान	84.17	28.73	
वारंटी व्यय का प्रावधान	61.48	39.49	
अग्रिम प्रावधान	0.00	0.00	
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान	4.38	87.57	
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान	212.57	236.30	
CWIP प्रावधान	0.00	344.95	
विविध प्रावधान	0.00	<u>0.00</u>	<u>2426.81</u>
	4208.90		<u>2426.81</u>
लघु योग (द)	4208.90		<u>2426.81</u>
कुल योग (अ+ब+स+द)	27702.28		<u>20419.27</u>



टिप्पणी संख्या –31
पूर्व अवधि समंजन
आय

बिक्री (सेवा आय के साथ)	0.00		(14.66)	
विविध आय	0.00	0.00	(50.66)	(65.32)

घटाये: व्यय


कर्मचारी भुगतान का प्रावधान	0.00		(149.07)	
सीआइएसएफ व्यय	0.00		156.23	
मूल्य ह्रास	0.00		0.00	
विविध व्यय (शुद्ध)	0.00	0.00	(24.97)	(17.81)
पूर्व अवधि समंजन (निवल)		0.00		(47.51)

टिप्पणी संख्या –32
असाधारण आईटम
आय

झारखण्ड सरकार से ग्रांट		0.00		0.00
जमीन हस्तांतरण बिक्री का प्रतिफल		(1014.20)		2026.09
		(1014.20)		2026.09

घटाये: व्यय

झारखण्ड सरकार को जमीन हस्तांतरण लागत		0.00		0.94
		0.00		(0.94)
निबल		(1014.20)		2025.15




टिप्पणी संख्या 33 – “वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियां”

संगत वित्तीय विवरण एच.ई.सी.लि. (कम्पनी) के 31 मार्च 2024 तक के वित्तीय विवरण को शामिल करता है। कम्पनी का लेखा गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया गया है। कम्पनी पूर्णतः भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक उद्यम है। कम्पनी कैपिटल उपकरण, स्टील, माइनिंग, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा रणनीतिक क्षेत्र के लिए मशिनरी का निर्माण एवं आपूर्ति करता है। कम्पनी में विकट नकदी संकट के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कम कारोबार हुआ, फिर भी 31 मार्च 2024 को कम्पनी के पास कार्यादेश रूपये 122507.00 लाख से अधिक का रहा है। कम्पनी वर्ष 2023-24 के दौरान रूपये 2484.00 लाख के कार्यादेश को अर्जित किया है। कम्पनी अपने स्रोत से ही कार्यशील पूँजी को उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है एवं आशा है कि आने वाले विकट नकदी संकट को पार कर लेगा।

33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई)


कम. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	(A) ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा (B) ठेका की अनुमानित राशि शेष को आय खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	5590.60 47533.54	8310.40 38810.38
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	0.00	65.95
3	असमाप्त बैंक गारंटी	13818.86	13071.04
4	होल्डींग कर	1686.77	1686.77
5	जल बकाया	418.54	418.54
6	(अ) पी.एफ. बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु. की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटिशन (सी एम पी) में पेटिशन सी. पी 476/2010 झारखण्ड माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व दायर की। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने आदेश दिनांक 14.10.2019 को याचिका सीएमपी 476/2010 को खारिज कर दिया। ईपीएफओ, के कार्यालय के पत्र क्रमांक जेएच/आरक्यू/आरएनसी/रिकवरी/दिनांक 23.12.2019 से बैंक खाते को संलग्न किया, एचईसी लिमिटेड ए WP (सी) रिकवरी अधिकारी के आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 09.01.2020 को 62/2020 दायर किया गया है, ईपीएफओ ने जेएच/आरओ/आरएनसी/Recovery/1465/2019/1397/34379 और JH/RO/RNC/Recovery स्टेट बैंक को जारी किए गए ERY/1465/2019/1398/34380 कज 23.12.2019 भारतीय और केनरा बैंक। याचिकाकर्ता मेसर्स एचईसी लिमिटेड, 23.12.2019 के नाम, 18.01.2020 को आदेश में झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय प्रतिबंधात्मक/अटैचमेंट आदेश को अगले नियम समय तक रोक लगाने का निर्देश दिया है। ईपीएफओ, राँची द्वारा सीपीएफ ट्रस्ट पर पत्र संख्या- JH/RO/RNC/PD/2022/JHRAN0001465000/2832/7214 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से जुर्माने की राशि 47338906/- रूपये की मांग 12/95 से 01/25010 की अवधि के लिए 14-बी के तहत सीपीएफ बकाया के भुगतान में देरी के लिए लगाया गया। साथ ही पत्र सं. JH/RO/RNC/PD/2022/JHRAN0001465000/2833/7214 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से CPFO राँची द्वारा 15622991/- रूपए की ब्याज राशि की मांग जारी की गई है। यह ब्याज राशि 13.05.2022 को अदा की गई।	9501.54	9501.54
7	कानूनी केस :- एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की मध्य पावती नहीं		
	केस	रकम	
		2023-24	2022-23
	(ब) मध्यस्थता एच.ई.सी. Vs G4S Secure मेटशो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड Vs एच.ई.सी एस बनर्जी अन्य (केस नं.-5)	469.83 943.93 246.64 55.57 1715.97	469.83 943. 93 246.64 55.57 1715.97
		36151.70	27777.83



	(स) एमएसएमइडी (केस नं.-41)	5157.07	604.94		
	(द) अन्य कानूनी केस • रामपुर इन्जिनियरिंग कं. लिमिटेड • आदर्श कॉर्पोरेटिव • अन्य (केस नं.-27)	21450.57 1271.81 6556.28	19948.85 1271.81 4236.26		
		29278.66	25456.92		
8	वाणिज्य कर (वैट एवं सीएसटी) आयुक्त, राँची के पास विचाराधीन मूल्यांकन आदेश अपील के तहत माँग				
	वर्ष	वैट रकम	सीएसटी रकम	कुल रकम	
	2008-09	10.78	10.35	21.13	
	2009-10	19.63	57.76	77.39	
	2010-11	92.41	137.18	229.59	
	2011-12	79.18	794.55	873.73	
	2013-14	397.75	16.02	413.77	4671.25
	2014-15	904.90	19.75	924.65	
	2015-16	124.91	57.88	182.79	
	2016-17	25.80	1806.23	1832.03	
	2017-18	18.87	97.30	116.17	
	कुल	1674.23	2997.02	4671.25	4671.25
9	सेवा कर				
	1 शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23.09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।		221.05	221.05	221.05
10	उत्पाद शुल्क				
	1 सीनवैट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण 2010-11 से 2014-15 के (आर्डर सं. 05/सेन्ट्रल एक्साइज/कमि. 2017, 24.03.2017) में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी कोलकाता में अपील लम्बित है।		4272.25		
	2 2015-16 से 2016-17 के दौरान इनपुट एवं कैपिटल गुड्स नन रिमर्सल ऑफ सिनवैट एक्साइज ड्यूटी के मांग जिसका उचित प्रावधान हमारे वित्तीय स्टेटमेंट में लिया गया है। (आदेश संख्या 21/Central Excise/pr. Commr/2020 dt 31.07.2020)। सीईएसटीएटी कोलकाता में अपील लम्बित है।		1447.80		
	3 हमारे द्वारा इनपुट और पूँजीगत वस्तुओं पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को वापस न करने के लिए उत्पाद शुल्क की मांग, जिसके लिए हमारे वित्तीय विवरण में कुछ प्रावधान किए गए हैं। (आदेश संख्या 73/जीएसटी/एडीसी/आरएएन/2023 दिनांक 27.12.2023)। अपील सीईएसटीएटी, कोलकाता वित्तीय वर्ष 2017-18 में लम्बित है।		552.27	6921.55	5720.05
	4 हमारे द्वारा इनपुट और पूँजीगत वस्तुओं पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को वापस न करने के लिए उत्पाद शुल्क की मांग, जिसके लिए हमारे वित्तीय विवरण में कुछ प्रावधान किए गए हैं। (आदेश संख्या 73/जीएसटी/एडीसी/आरएएन/2023 दिनांक 27.12.2023)। अपील सीईएसटीएटी, कोलकाता वित्तीय वर्ष 2018-19 में लम्बित है।		640.45		
	5 जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान जीएसटी ट्रान-1 के माध्यम से उपयोगध्राप्त अतिरिक्त संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग (आदेश संख्या 23/जीएसटी/आरएसडी/उप आयुक्त/2023-24 दिनांक 26.12.2023)।		8.78		
	योग			126988.29	110727.69

33.2 पुनरुत्थान पैकेज

- (i) बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।
- (ii) उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी.के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव



न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में वार्षिक प्रतिवेदन - 2022-23 69 लाया जाय और वाइडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदद कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-


(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :-

(7-10-2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशंसित एवं 15-12-2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ) 31.03.2005 को रु. 1527.49 लाख के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब) 31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज रु. 110101.96 लाख	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स) रु. 10200.00 लाख के गैर-योजना ऋण को रु. 9203.00 लाख के बिना योजना ऋण के रूप में देना, रु. 498.50 लाख के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ रु. 498.50 लाख इक्विटी के रूप में भी। (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।	मार्च 2006 में कार्यान्वित
द) राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग रु. 33000.00 लाख)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने रु. 8543.82 लाख अर्जित किए।


ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :

अ) योजना ऋण (रु. 582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (रु. 10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब) 2005-06 और 2006-07 में रु. 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक रु. 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को रु. 15000.00 लाख से रु.25300.00 लाख बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द) सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरूप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के रु. 7906.00 लाख की देनदारी का निपटारा	रु. 7906.00 लाख की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि रु. 3790.62 लाख पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।



स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की

अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज		करोड़ रु. में			
सीसीईए	झारखण्ड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ/समायोजित/प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ/समायोजित/प्राप्त की गई राशि	माफ/समायोजित/प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि	
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु रु. 50000.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, रु. 30637.42 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	रु. 96984.68 लाख कुल राशि की माफी/समायोजन किया जाना है।	रु. 85342.46 लाख (31.08.2008 तक रु. 30637.42 लाख का बिजली बकाया और रु. 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03.2010 तक डीपीएस के विरुद्ध रु. 11642.22 लाख माफ किया जाना है।
2	रु. 3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया रु 3264.80 लाख की माफी।	रु. 3264.80 लाख (माफ)	रु. 3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं
3	रु. 2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा रु. 2551.00 लाख भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड/दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल है, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा रु. 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास रु. 2551.00 लाख जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) रु. 2551.00 लाख मिला 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा रु. 2551.00 लाख जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।



4	विषय में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से रु. 25000.00 लाख प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	रु. 27551.00 लाख का अनुदान जिसमें ऊपर क्रसं. 3 में उल्लेखित रु. 2551.00 लाख शामिल है।	रु. 27551.00 लाख रुपये	रु. 20021.00 लाख समायोजित हुआ PMAY-U से रु.2633.00 लाख प्राप्त हुआ। प्राप्त रु. 4897.47 लाख (रु.1439.80 लाख 25.06.2020, रु.3457.20 लाख 5.11.2020 और रु. 0.47 लाख 11.01.2021)	कुछ नहीं
5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा। पत्रांक सं.-7 05/02/2019 पीडू-5 एमएसआइ एण्ड पीईडिएचआइ, 21.10.2019 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रावधान के अनुसार, झारखण्ड सरकार को 107.28 एकड़ भूमि के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी- उक्त 306.86 एकड़ जमीन में से उसी का उपयोग किया जाएगा। पात्र झुग्गी निवासियों के लिए PMAY-U के तहत किफायती आवास परियोजना (एस) के लिए सरकार। शेष 199.58 एकड़ का उपयोग पीएमएवाई-यू के अलावा शहरी विकास योजनाओं के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए रु. 4897.47 लाख प्राप्त किया गया है।		
6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ रु. 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।		

33.3) भारत सरकार ने 12.04.2017 को 74298.00 लाख रुपये के मूल्य पर कंपनी की 675.43 एकड़ अप्रयुक्त भूमि का झारखंड सरकार को मुद्र्रीकरण और हस्तांतरण को मंजूरी दी है। 508.44 एकड़ के लिए 22.05.2018 को और 147.86 एकड़ के लिए 17.01.2019 को दो हस्तांतरण विलेख निष्पादित और पंजीकृत किए जाने हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से जिला अवर निबंधक रांची के कार्यालय में उक्त हस्तांतरण विलेख निष्पादित और पंजीकृत नहीं किए जा सके। 656.30 एकड़ में से 9.22 एकड़ भूमि मौजूदा एचईसी रेलवे ट्रैक संख्या में आती है। 1 जो एचईसी लिमिटेड की उत्पादन इकाई के बीच आवश्यक रेल संपर्क है और परिणामस्वरूप आपसी चर्चा के बाद, 508.44 एकड़ के लिए दिनांक 22.05.2018 को जारी किए गए दो हस्तांतरण विलेख और 147.86 एकड़ के लिए दिनांक 17.01.2019 को जारी किए गए दो हस्तांतरण विलेखों को विलय किया जाना है, जिसमें 9.22 एकड़ क्षेत्र को छोड़कर शेष 647.08 एकड़ भूमि के पंजीकरण के उद्देश्य से हस्तांतरण विलेख संशोधन के माध्यम से 27.02.2020 को 71178.80 लाख रुपये में त्याग दिया गया। अन्य 18.42 एकड़ भूमि 31.03.2023 को जारी किए गए हस्तांतरण विलेख के माध्यम से 2026.09 लाख रुपये में हस्तांतरित की गई। रेलवे ट्रैक के अंतर्गत आने वाली 9.22 एकड़ भूमि को वित्त वर्ष 2014-15 में हस्तांतरित 18.42 एकड़ भूमि से समायोजित करने की आवश्यकता है। 2022-23.

इसके अलावा, वर्ष के दौरान सुधार किया गया है और नोट 21 में जीओजे से प्राप्य के रूप में दिखाई गई आर 1014.20 लाख की राशि वापस ले ली गई है। 31.03.2023 तक कुल आर 73204.89 लाख की राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि का उपयोग पुरानी देनदारी को समाप्त करने के लिए किया गया है। डीएचआई ने जीओजे से प्राप्त शेष राशि को कार्यशील पूंजी के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है। भारत सरकार ने झारखंड सरकार को भूमि हस्तांतरण के कारण उत्पन्न पूंजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए पहले से स्वीकृत अप्रयुक्त अनुदान के उपयोग की अनुमति दी है।

33.4) कंपनी अधिनियम 2013 के अर्थ में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली के साथ 29 अगस्त 2022 को 3500 लाख रुपये के अंतर-कॉर्पोरेट ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, एनसीएल ने 14 सितंबर



2022 को एस्करो खातों में 2000 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की है। उपयोग की गई वास्तविक निधि 305.65 लाख रुपये (2022-23) और 327.37 लाख रुपये (2023-24) थी, जो 31.03.2024 तक कुल 633.02 लाख रुपये थी। 67.22 लाख रुपये (2022-23) और 123.64 लाख रुपये (2023-24) का ब्याज, 31.03.2024 तक कुल 190.86 लाख रुपये / 6.28: प्रति वर्ष। स्वीकृत शर्तों के अनुसार अर्जित और प्रदान किया गया है।

33.5) 31.03.2024 तक 5 क्यूबिक मीटर हाइड्रोलिक एक्सवेटर – एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी. एच.आई. का अनुदान राशि रु. 500.00 लाख (विगत वर्ष रु. 500.00 लाख) एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2024 तक रु. 573.06 लाख का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।

33.6) डीएचआई ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एचईसी लिमिटेड, रांची में 5000.00 लाख रुपये की लागत से एक प्रशिक्षण संस्थान, कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी। 5000.00 लाख रुपये में से सरकारी अनुदान 3000.00 लाख रुपये तक सीमित होगा और एचईसी का योगदान 2000.00 लाख रुपये होगा। सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन (एक कंपनी) और डीएचआई के बीच दिसंबर 2016 में इलेक्ट्रो स्लैग री-मेल्टिंग, स्टील मेकिंग, वेल्डिंग, गैर-विनाशकारी प्रशिक्षण, गियर्स के निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कौशल विकास, परामर्श आदि प्रदान करने के लिए कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एचईसी और सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन के बीच 24.12.2016 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें एचईसी एक पर्यवेक्षण कंपनी और सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन एक कार्यान्वयन कंपनी के रूप में शामिल है। 11.01.2019 तक सरकार ने इस योजना के तहत CEFC प्रथम फाउंडेशन को कुल 1545.00 लाख रुपये का अनुदान दिया है और HEC ने 607.89 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2016-17 में 111.75 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2017-18 में 128.14 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2018-19 में 368.00 लाख रुपये) का योगदान दिया है और इसे HEC खाते में व्यय के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा पत्र संख्या F-No- 12/26/2015&HE & MT दिनांक 11.01.2019 के अनुसार DHI द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध धनराशि और अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों को HEC को हस्तांतरित करने के बाद CEFC प्रथम फाउंडेशन को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है। सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन द्वारा लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद एचईसी को परिसंपत्तियों और देनदारियों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रगति पर है इसलिए इसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां खातों में परिलक्षित नहीं हैं। 01.03.2019 (वित्त वर्ष 2018-19) को, एचईसी-सीईएफसी एस्करो खाते में डीएचआई से अनुदान के रूप में आर 130.00 लाख प्राप्त हुए और 31.03.2019 (वित्त वर्ष 2018-19) को, एचईसी ने एचईसी-सीईएफसी एस्करो खाते में आर 130.00 लाख का योगदान दिया।

डीएचआई अनुदान का विवरण :

सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन 11.01.2019 तक	रु. 1545 लाख
एचईसी-सीईएफसी एस्करो खाता, एसबीआई एमएमई रांची 01.03.2019 को	रु. 130 लाख
कुल अनुदान 31.03.2024 तक	रु. 1675 लाख

एचईसी सीईएफसी एस्करो खाता, एसबीआई एमएमई रांची :

सीईएफसी प्रथम से प्राप्त (वित्तीय वर्ष 2019-20)	रु. 190 लाख
डीएचआई से अनुदान वित्तीय वर्ष (2018-19) :	रु. 130 लाख
एचईसी योगदान (वित्तीय वर्ष 2018-19) :	रु. 130 लाख
अन्य :	रु. 1.64 लाख
कुल	रु. 451.64 लाख
कम : एचईसी का हिस्सा वापस लिया गया (2021-22) :	रु. 179.00 लाख
एचईसी सीईएफसी ESCROW Account में शेष राशि	रु. 272.64 लाख

31.03.2024 तक एचईसी-सीईएफसी एस्करो खाते में 0.39 लाख रुपये की राशि पड़ी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 168.23 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 104.00 लाख रुपये शामिल नहीं हैं, जो बैंक ने वर्ष के दौरान बकाया बैंक ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए स्वतः काट लिए हैं, जबकि नोट संख्या 9 अन्वय देयताओं में 272.63 लाख रुपये की देयता दर्शाई गई है।



- 33.7) पूंजीगत लाभ कर के भुगतान के लिए टीडीआर के रूप में अलग रखे गए अप्रयुक्त सरकारी अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि 31.03.2024 तक 2741.36 लाख रुपये है, जिसमें वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बकाया बैंक ब्याज के लिए स्वतः कटौती किए गए 588.75 लाख रुपये शामिल नहीं हैं।
- 33.8) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए रु. 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किश्तों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किश्त और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 31.03.2024 को ब्याज/पेनल ब्याज सहित रु. 13908.05 बकाया है।
- 33.9) 1995-96 तक दीर्घकालीन लीज़ में रु. 16357.06 लाख प्राप्त किया। लीज़ काल में रु. 574.33 लाख (विगत वर्ष रु. 574.33 लाख) को आय में परिशोधित किया गया था और पूंजी आरक्षित टिप्पणी संख्या 3 में समंजन किया गया है।
- 33.10) रु. 37.88 लाख का इंटरप्लॉट हस्तांतरण (पिछले वर्ष रु. 128.40 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।
- 33.11) 31.03.2024 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2024 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह प्रचलन राजस्व माना गया है।
- 33.12) डी.एच.ई. से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 33.13) (अ) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता रु 5492.09 लाख को चुकाने की स्थिति में नहीं है और 31.03.2024 को विलम्ब पर ब्याज का रु. 1424.16 लाख का प्रावधान किया गया है।
- (ब) फंड संकट के कारण, ईपीएस/पीएफ (उप एवं जारी) का प्रेषण नियमित कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2021 से और जनवरी 2022 से अनुबंध कर्मियों के लिए रु. 7467 लाख ब्याज सहित लंबित है। 31.03.2024 तक पीएफ ट्रस्ट को प्रेषण के लिए अप्रैल 2019 से ब्याज सहित बकाया ऋण वीपीएफ की राशि रु. 13905.91 लाख लंबित है।
- 33.14 (अ) परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के लिए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी के परिचालन चक्र को बारह महीने माना जाता है।
- (ब) लंबी अवधि के पट्टे का परिशोधन पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए सीधी रेखा पद्धति से किया गया है।
- (स) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संयंत्र स्तर पर परिसंपत्ति की हानि का आकलन करती है। यदि मूल्यांकन पर, परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तो उन्हें शुद्ध बही मूल्य पर प्रदान किया जाता है।
- (द) प्लॉट टर्नकी परियोजना कार्य/अनुबंध जिसकी निष्पादन अवधि बारह महीने से अधिक है, संविदात्मक दायित्व पूरा होने तक 0.5 की दर से वारंटी व्यय प्रावधान में रखा जाता है।
- (ध) गैर-व्यापारिक देनदारों के लिए प्रावधान किया जा रहा है, अर्थात् टाउनशिप राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि से संबंधित जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है। एचईसीएल द्वारा पीएचईडी को दिए गए बिजली बिलों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली राशि के मामले में कंपनी द्वारा देय जल बिलों के साथ बुक समायोजन के कारण प्रावधान नहीं किया गया है।
- (च) गैर-व्यापार देनदारों के लिए प्रावधान यानी टाउनशिप राजस्व से प्राप्य से संबंधित प्रावधान प्रदान किया जा रहा है जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।
- (छ) वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर संयंत्र प्रभारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का प्रावधान किया गया है।
- (ज) संयंत्र प्रभारी द्वारा प्रमाणित अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान किया गया है।
- (झ) आंतरिक लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है।
- 33.15 (अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबंध (पिछले वर्ष रु. 3310.85 लाख) के मद्देनजर रु. 16078.31 लाख की राशि शामिल है। 01.04.2003 को




या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

	2023-24	2022-23
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	16078.31	3310.85
31.03.2023 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	101228.36	85150.05
प्राप्त अग्रिम की राशि	94064.10	80456.69
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	0.00	0.00
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	7164.26	4693.36
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	500.00	500.00
आकस्मिक व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

- ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।
- स) परियोजना प्रभाग के मामले में, प्रति बिक्री पर 0.5% की दर से वारंटी खर्च का प्रावधान किया जाता और अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र (एफएसी) तक प्रावधान में रखा जाता है। इसे ग्राहक से अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र के बाद आय के रूप में वापस लिखा जाएगा।
- द) एएस-7 और एचईसी महत्वपूर्ण लेखा नीति नोट संख्या 5 (iii) के संदर्भ में, परियोजना प्रभाग के लिए डब्ल्यूआईपी/एफजी को परियोजना के राजस्व की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए पहले से खर्च की गई लागत के मुकाबले राजस्व को ठीक सं पहचानने के लिए महत्व दिया गया है। दिनांक 31.03.2024 को WIP/FG का मूल्य पिछले वर्ष में दिखाए गए रु. 2146.98 लाख के मुकाबल रु. 2450.48 लाख है।
- 33.16) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।
- 33.17) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
	2023-24	लाख रु. म 2022-23
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	3321.48	2862.84
ब्याज	8112.45	5761.90
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

- 33.18 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।



33.19 व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.04. 2023 प्रारंभिक अधिशेष को	जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया	घटाये : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग	घटाये : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिवर्स किया	दिनांक 31.03. 2024 को समापन शेष
1	बोनस के लिए प्रावधान	89.68	0.03	0.00	0.00	89.71
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	19929.39	1529.00	1919.82	0.00	19538.57
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	12618.80	0.00	0.00	17.12	12601.68
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	4266.60	0.00	0.00	0.00	4266.60
5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	233.30	0.00	0.00	0.00	233.30
6	सप्लाइर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	879.71	0.00	0.00	0.16	879.55
7	इन्वेंट्री	3998.48	296.75	0.00	0.00	4295.23
8	ग्रेच्युटी के लिए व्यवस्था	6002.11	982.64	0.00	1108.20	5876.55
9	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	2175.97	227.87	0.00	0.00	2403.84
10	सेवानिवृत्त यात्रा भत्ता का व्यवस्था	59.33	3.61	0.00	0.00	62.94
11	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	136.36	4.61	0.00	0.00	140.97
12	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	123.89	0.00	0.00	0.00	123.89
13	वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	279.96	53.85	87.71	0.00	246.10


33.20 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

(अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 – कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2024 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।

(ब) 31 मार्च, 2024 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।

- उपदान – कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृत्ति के उपरांत उपदान स्वरूप देय होगा। उपदान की देय राशि रु. 20 लाख तक सीमित है।
- छुट्टी नकदीकरण – अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृत्ति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेंडर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।
- भविष्य निधि – मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12: राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद का फायदा – सेवानिवृत्ति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।
- भविष्य निधि न्यास को वर्ष के दौरान देय/देय कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी के प्रोविडेंटफंड ट्रस्ट को कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधानों अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट के अनुदान की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्ट विज़ द्वारा घोषित ब्याज दर में, यदि कोई हो, तो अच्छी कमी करेगा। ए-विज़ सांविधिक दर। कंपनी भविष्य निधि के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खातों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान कर चुकी है।
- प्रोविडेंट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।
- लेखा मानक (ए. एस) – 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृत्ति भत्ता यात्रा
मार्च 31, 2024 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा			




1. तात्कालिक सेवा मूल्य	240.92	524.56	4.17
2. पूर्व सेवा मूल्य	0.00	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	448.11	162.46	4.43
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	168.06	(150.80)	(4.98)
कुल खर्च	857.09	536.22	3.62
बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	591.13	627.41	4.73
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5285.42	1776.42	58.20
3. अनुदान का लेखा जोखा	(5876.54)	(2403.84)	(62.93)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	5876.54	2403.84	62.93
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
1. 1 अप्रैल 2022 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6002.09	2175.98	59.31
2. वर्तमान सेवा दर	240.92	524.56	4.17
3. ब्याज दर	448.11	162.46	4.43
4. पिछला सेवा दर	0.00	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(982.64)	(308.36)	(0.00)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	(168.06)	(150.80)	(4.98)
7. 31 मार्च 2023 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	5876.54	2403.84	62.93
अनुमानित ब्यौरा			
1. छूट दर	7.15%	7.15%	7.15%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.21) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है- विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2022-2023 के बारे में सूचनाएँ :-

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लॉट	एच.एम.बी. पीप्लॉट	एच.एम.टी. पीप्लॉट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी
राजस्व					
बाहरी बिक्री	18.00	379.77	35.63	16078.31	16511.71
इंटर-प्लॉट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	23.93	0.00	13.95	0.00	37.88
कुल राजस्व	41.93	379.77	49.58	16078.31	16549.59
कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)	(12806.90)	(10426.67)	(2354.60)	2637.93	(22950.24)
ब्याज	2204.38	1956.85	407.63	0.00	4568.86
कुल लाभ	(15011.28)	(12383.52)	(2762.23)	2637.93	(27519.10)
विशेष वस्तुएं	(335.19)	(553.35)	125.66	0.00	1014.20
पूर्व के समय में हुई आमदनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य गतिविधियों से कुल लाभ (कर पश्चात)	(14676.09)	(11830.17)	(2636.57)	2637.93	(26504.90)
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	13393.16	13674.54	2425.75	9133.63	38627.08
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अविभाजित सम्पत्ति					8939.58
कुल सम्पत्ति					47566.66
खंडों की जवाबदेही	51033.03	25361.24	4091.36	22262.00	102747.63
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					80978.06
कुल देयताएं					183725.69
पूंजी खर्च	2.62	0.00	0.00	2.67	2.62
अविभाजित पूंजी खर्च					0.00
कुल पूंजी खर्च					2.62
मूल्यहास	388.34	57.03	14.61	1.60	461.58
अविभाजित मूल्यहास					98.80
कुल मूल्यहास					560.38



33.22) ICAI द्वारा वित्तीय मानक –18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है –
संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)


	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	श्री कोप्पु सदाशिव मूर्ति, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	11 / 2023– 03 / 2024	0.00	0.00
2	डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2023 – 10 / 2023	0.00	0.00
3	श्री राजेश कुमार द्विवेदी निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2023 – 03 / 2024	0.00	0.00
4	श्री ए के बेहरा निदेशक कार्मिक (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2023 – 03 / 2024	0.00	0.00
5	श्री आलोक कुमार सिंघल निदेशक विपणन (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2023 – 03 / 2024	0.00	0.00
6	श्री एस. डी. सिंह निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार)	08 / 2023 – 03 / 2024	0.00	0.00
		कुल	0.00	0.00

- 33.23) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।
- 33.24) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।
- 33.25) 31.03.2024 को कम्पनी का नेटवर्थ निगेटिव था चूँकी कम्पनी अनलिस्टेड है अतएव वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आईएनडी एएस लागू नहीं है।
- 33.26) हमारे विचार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर हमारे दावे और केन्द्रीय विद्यालय का रु. 140.23 लाख की दावा, जो कागजात के अभाव में प्रप्री नहीं है और इसलिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।
- 33.27) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके।

33.28 अतिरिक्त सूचना

अ 1. अनुपात विश्लेषण

Sl. No	RATIO IN TIMES	NUMERATOR	DENOMINATOR	As on 31.03.24	As on 31.03.23	VARIANCE	REASON FOR VARIANCE
A	Current Ratio	Current Assets (CA)	Current Liabilities (CL)	0.24	0.27	-9.49%	Due to non-payment of dues
B	Debt-Equity Ratio	Total Debt	Average Shareholder's Funds	-1.50	-1.59	-5.30%	Decrease in average shareholder's fund by 26.89%
C	Debt Service Covergae Ratio	EBITDA	Debt Serviced	-4.90	-4.77	2.84%	Higher Interest Rate
D	Return on Equity Ratio (%)	Profit After Tax	Average Shareholder's Funds	22.54%	23.99%	-6.05%	Decrease in average shareholder's fund by 26.89%
E	Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods Sold	Average Inventory	1.64	0.63	160.88%	Increasing Sales
F	Trade Receivables Turnover Ratio	Net Credit Sales	Average Trade Receivables	1.53	0.62	145.26%	Increasing Turnover
G	Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	0.23	0.03	744.91%	Increasing in production
H	Net Capital Turnover Ratio	Revenue from Operations	Average Net Working Capital	-0.14	-0.10	40.66%	Increasing Turnover
I	Net Profit Ratio	Net Profit After Tax	Revenue from Operations	-1.67	-2.50	-33.26%	Sales increase by 79%
J	Return on Capital Employed	EBIT	Average Capital Employed	20.18%	21.38%	-5.63%	Increase in current liabilities
K	Return on Investment	Net Profit After Tax	Total Investments	NA	NA	NA	NA



नोट : इस वर्ष और पिछले वर्ष का अनुपात विश्लेषण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 3 में दिये गये पैरामिटर के अनुसार है।


अनुपात का विवरण :-

- (i) सभी मापदंडों का औसत (ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस)/2 के रूप में लिया गया है।
- (ii) नियोजित पूंजी – कुल ऋण, कुल शेयरधारक की निधि
- (iii) बेची गई वस्तुओं की लागत, उपभोग की गई इन्वेंटरी में परिवर्तन
- (iv) क्रेडिट खरीद को शुद्ध खरीद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
- (v) क्रेडिट बिक्री को शुद्ध बिक्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
- (vi) चुकाया गया ऋण = ब्याज मूलधन का पुनर्भुगतान
- (vii) EBITDA = ब्याज, कर और मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पहले की कमाइ
- (viii) कुल निवेश – अल्पकालिक निवेश दीर्घकालिक निवेश
- (ix) कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्ति – वर्तमान देनदारिया

33.29) नोट संख्या 1 से 32 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग हैं।



ए. के. कंट
कम्पनी सचिव



सीएमए राजेश गांधी
उपमहाप्रबंधक (वित्त) (A & B)



सीएमए मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)




कोप्पु सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

पहचान के लिए हस्ताक्षर
कृते अंजली जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं. – 003247C



(सीए अर्पित जैन)
पार्टनर सदस्यता सं. – 417169

तिथि : 18.11.2024
स्थान : रांची



कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निर्माण करने में समर्थ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है:

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under:

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

आयरन कास्टिंग्स	: 100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	: 90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	: 2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	: 40 टन वजन तक
रॉल्स	: हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस.सी., आयरन रॉल्स

Foundry Forge Plant

Iron Castings	- Weighing upto 100 T
Steel Castings	- Weighing upto 90 T
Non-Ferrous Casting	- Weighing upto 2 T
Forgings	- Weighing upto 40 T
Rolls	- Forged induction hardened Roolls weighing upto 40 T for Hot Rolling Mills, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Roolls etc.

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719,2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/ 130 टन एवं 300 टन एल.डी कन्वर्टर समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैब्स एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवल्स: क्षमता 5 घन मी., 12.5/ 15 घन मी.
- हाईड्रोलिक शॉवल्स: क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग ड्रैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेन: क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टॉंग क्रेन
- मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यथा-वैगन टीपलर, एपरॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्स: 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
 - मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
 - कोल डीगेशन प्लांट
 - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
 - स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडक्ट प्लांट
 - सीमेंट प्लांट

HEAVY MACHINE BUILDING PLANT


- Blast Furnace of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu. M
- Koke Oven Batteries from 4.3 to 7m height
- Sinter plants of 75M2, 80 M2 252m2 and 312 M2 size
- Steel Melting Shop Equipment Inclusive of 100T/130T and 300T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Stabs & Blooms
- Rollin Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15M3
- Hydraulic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacity up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyrotory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills-Dia 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
 - Material handling system
 - Coal Deshelling Washery
 - Coal Degasification Plant
 - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Costing Plant and Coke Oven By-Product Plant
 - Cement Plants


हैवी मशीन टूल्स प्लांट

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plants is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.





एच. ई. सी.



HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

Corporate Office

Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi, 834004, Jharkhand (India)
Phone : +91 651 2401249 / 2401176 | Fax +91 651 2400579 / 2401571
Email : corpmktg@hecltd.com

Branch Office

Kolkata
Heavy Engineering Corporation Limited, 77, Park Street, Kolkata - 700 016
Tel : +91 33 22172397, 22290661 | Fax : +91 33 22291509
E-mail : heckolkata@hecltd.com